Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022

Act No. 12 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 475 राँची, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-13/2021-36/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**20/09/2022** को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-12, 2022)

<u>प्रस्तावना</u>

झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करना ताकि भारत और झारखण्ड में आदिवासी आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुगम बनाया जा सके तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सुविधा प्रदान किया जा सके।

भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

<u>प्रारंभिक</u>

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

(1) इस अधिनियम को पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह झारखण्ड राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाऐं: इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) क्षेत्रीय केन्द्र के परिप्रेक्ष्य में “अकादमिक बोर्ड” से तात्पर्य ऐसे शैक्षणिक निकाय से है; जो अकादमिक मामलों के दायित्वों का निर्वहण कर सके और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(ख) "अकादमिक परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद्;

(ग) "अकादमिक कर्मचारी” से अभिप्रेत है कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियाँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया है;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(ङ) "द्विमासिक बैठक" से अभिप्रेत है कार्यकारी परिषद् की बैठकों में से एक बैठक जो अधिनियम की धारा-27 की उप-धारा (11) के तहत प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जाती है और परिनियमों द्वारा कार्यकारी परिषद् की द्विमासिक बैठक घोषित की जाती है;

(च) "परिसर" से अभिप्रेत ऐसी इकाई से है जहाँ अध्यापन, या अनुसंधान, या दोनों की व्यवस्था हो, इसमें ऑफ-कैंपस शामिल हैं;

(छ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से अभिप्रेत है, क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति;

(ज) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी संकाय के अध्यक्ष;

(झ) "विभाग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय विभाग;

(ञ) "निदेशक" का अर्थ है एक क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख;

(ट) "कर्मी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;

(ठ) "कार्यकारी परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद्;

(ड) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का एक संकाय;

(ढ) "वित्त समिति" का अर्थ है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(ण) "हॉल" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या इसके केन्द्र के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास या निवास या कॉरपोरेट जीवन की इकाई, या केन्द्र जिसका रख-रखाव एवं मान्यता विश्वविद्यालय प्रदान करती है।

(त) एक क्षेत्रीय केंद्र के संबंध में "प्रबंधन बोर्ड" का अर्थ है ऐसे केंद्र के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बोर्ड जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(थ) "मान्यता प्राप्त शिक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके क्षेत्रीय केंद्रों में अध्यापन के उद्देश्य से मान्यता दी जा सकती है;

(द) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा झारखंड राज्य में स्थापित दूर अवस्थित परिसर जो विश्वविद्यालय के हिस्से के रूप में कार्य करे जैसा परिनियमों में निर्धारित है;

(ध) "विनियम" से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा उस समय लागू होने वाले विनियमों से है;

(न) "अनुसूचित जनसंख्या" से अभिप्रेत है अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जातियाँ जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है;

(प) "परिनियम" और "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, क्रमशः, विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत परिनियम और अध्यादेश;

(फ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" का अर्थ है प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए किसी भी क्षेत्रीय केंद्र में अध्यापन या शोध करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के रूप में नामित किया जा सकता है;

(ब) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जैसा कि इस अधिनियम के तहत निगमित किया गया है;

(भ) "विश्वविद्यालय चयन समिति" का अर्थ ऐसी समिति से है जिसे स्वीकृत ग्रेड और वेतनमान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अन्य सेवकों की स्वीकृत संख्या के अधीन पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक और अधिकारी नहीं होंगे।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:

(1) झारखण्ड राज्य में "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में होगा।

(3) विश्वविद्यालय के झारखण्ड राज्य में उतने क्षेत्रीय केंद्र और परिसर होंगे जितना विश्वविद्यालय उचित समझे।

(4) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद्, और ऐसे सभी व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता धारण किए रहते हैं, एतद् द्वारा साथ मिलकर "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय" नामक निकाय गठित करेंगे।

(5) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य: विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार होंगे:-

(1) मुख्य रूप से जनजातीय आबादी के लिए जनजातीय अध्ययन पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाऐं प्रदान करना;

(2) जनजातीय केंद्रित सामाजिक विज्ञान, कला, संस्कृति, भाषा और भाषा विज्ञान, विज्ञान, वन आधारित आर्थिक गतिविधियों आदि पर शिक्षण और अनुसंधान सुविधाऐं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और प्रोत्साहन करना;

(3) राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संगठनों के साथ विशेष रूप से आदिवासी आबादी पर सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए सहयोग करना;

(4) आदिवासी केंद्रित विकास मॉडल तैयार करना, प्रतिवेदन और मोनोग्राफ प्रकाशित करना; जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन एवं संगोष्ठी आयोजित करना और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत मामलों में मंतव्य प्रदान करना;

(5) अन्तर्विषयी अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना तथा झारखण्ड राज्य और भारत संघ के भीतर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार और कल्याण एवं बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देना;

(6) प्रारंभ में विश्वविद्यालय सीबीसीएस (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) के आधार पर संकायों में निम्नलिखित विभागों की स्थापना करेगा जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। बाद में, आवश्यकता के अनुसार, विश्वविद्यालय नए संकाय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा या पुराने को हटा सकेगा। विभिन्न संकायों के विभिन्न विभागों का कार्य निम्नानुसार होगा:-

सामाजिक विज्ञान संकाय:

(i) अर्थशास्त्र विभाग

(ii) इतिहास और पुरातत्व विभाग

(iii) भूगोल और क्षेत्रीय विकास विभाग

(iv) समाजशास्त्र विभाग

(v) मानव विज्ञान और प्रथागत कानून विभाग

(vi) प्रवासन और श्रम अध्ययन विभाग

(vii) राजनीति विज्ञान विभाग

(viii) शांति और संघर्ष अध्ययन विभाग

कला और मानविकी संकाय:

(i) हिंदी विभाग

(ii) संथाली विभाग

(iii) हो विभाग

(iv) नागपुरी विभाग

(v) कुड़ुख विभाग

(vi) मुंडारी विभाग

(vii) कुरमाली विभाग

(viii) खड़िया विभाग

(ix) पंचपरगनिया विभाग

(x) खोरठा विभाग

(xi) दर्शनशास्त्र विभाग

(xii) अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा विभाग

विज्ञान संकाय:

(i) औषधीय, सुगंधित तथा कृषि पौधों एवं पारंपरिक चिकित्सा विभाग

(ii) ग्रामीण तथा वन प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान तथा कानून विभाग

प्रबंधन संकाय:

(i) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन विभाग

कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान संकाय:

(i) कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

जनजातीय अध्ययन संकाय:

(i) जनजातीय कला, लोक साहित्य तथा संस्कृति विभाग

(ii) लोक अध्ययन विभाग, इतिहास तथा संग्रहालय विज्ञान

(iii) जनजातीय तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग

ललित कला संकाय

मंच कला संकाय

शारीरिक शिक्षा संकाय

विधि संकाय

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ: विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे तथा अनुसंधान एवं ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए प्रावधान करे;

(2) ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण के किसी अन्य तरीके के आधार पर डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर) या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं प्रदान करना, और पर्याप्त कारण होने पर किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(3) अतिरिक्त भित्ति अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाऐं आयोजित करना और प्रारंभ करना;

(4) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मानद डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र या अन्य विशिष्टताऐं प्रदान करना;

(5) ऐसे व्यक्तियों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाऐं प्रदान करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(6) विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशक पद, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अन्य शिक्षण या अकादमिक पदों को स्थापित करना तथा निदेशक, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य शिक्षण या अकादमिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(7) जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और अनुसंधान के विशिष्ट ज्ञान के व्यक्तियों को जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं तथा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में एक समय में

अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से प्रति नियुक्त करना,;

(8) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकार या उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ इस तरह से और ऐसे उद्देश्यों के लिए सहयोग करना या संबद्ध करना, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है;

(9) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे क्षेत्रीय केंद्र, परिसर, विशेष केंद्र, विशेष प्रयोगशालाओं या अनुसंधान और निर्देश के लिए अन्य इकाईयों को स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में, इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं;

(10) फेलोशिप, अध्येतावृत्ति, छात्रवृति, पदक और पुरस्कार संस्थापित करना और प्रदान करना;

(11) क्षेत्रीय केंद्रों, विभागों और हॉलों की स्थापना और रख-रखाव करना;

(12) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए प्रावधान करना और उस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थानों, औद्योगिक या अन्य संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(13) शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाऐं, संगोष्ठियों और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करना और संचालित करना;

(14) महिला विद्यार्थियों के आवास और अध्यापन के संबंध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(15) संविदा पर या अन्यथा विजिटिंग प्रोफेसरों (सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों), एमेरिटस प्राध्यापकों, सलाहकारों की कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में तथा उन्नति में योगदान दे सकते हैं;

(16) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि शामिल हो सकती है;

(17) शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान की मांग करना और प्राप्ति;

(18) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(19) कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करना, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है;

(20) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित तथा लागू करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाऐं;

(21) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(22) उपकार, दान और उपहार प्राप्त करना तथा राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट एवं बंदोबस्ती संपत्तियों सहित किसी भी चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान करना;

(23) अनुसंधान, कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण और रोजगार आदि के क्षेत्रों में उद्योगों के साथ सहयोग (वित्त पोषण या बिना वित्त पोषण) करना;

(24) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(25) झारखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उतने क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों;

(26) प्रवेश के मामलों में सीटों का पर्याप्त प्रतिशत, रोजगार के मामले में पदों की संख्या और अन्य लाभ के द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के शैक्षिक, आर्थिक हितों और कल्याण के संवर्धन के लिए विशेष प्रावधान करना;

(27) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो आवश्यक या आकस्मिक हों तथा इसके सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल हों।

6. क्षेत्राधिकार: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला रहेगा: विश्वविद्यालय सभी लोगों के लिए लिंग, रंग, पंथ, जाति या वर्ग की परवाह किए बिना खुला होगा एवं विश्वविद्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करने या कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में प्रवेश देने या उससे स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का लाभ लेने या प्रयोग करने पर धार्मिक विश्वास या पेशे के किसी भी परीक्षण को अपनाने या लागू करना वैध नहीं होगा:

पंरतु यह कि इस धारा के किसी भी बात से विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने पर रोक नहीं लग सकेगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल हैं।

8. छात्रावास: हॉल या छात्रावास सीटों की उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

9. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रति कुलपति;

(4) वित्तीय सलाहकार;

(5) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(6) कुलानुशासक;

(7) निदेशक;

(8) संकायाध्यक्ष;

(9) कुलसचिव;

(10) वित्त पदाधिकारी;

(11) परीक्षा नियंत्रक;

(12) पुस्तकालयाध्यक्ष; तथा

(13) ऐसे कोई अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाऐं।

10. कुलाधिपति:

(1) झारखण्ड के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे और अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कार्य करेंगे और जब उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय के किसी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या बोर्ड में किसी भी व्यक्ति को नामित करने के लिए, राज्य सरकार के साथ कुलाधिपति द्वारा परामर्श का तरीका इस प्रकार होगा:-

(क) राज्य सरकार प्रत्येक नामांकन के लिए कम से कम तीन नामों का सुझाव देगी, जिनमें से कुलाधिपति किसी भी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या विश्वविद्यालय के बोर्ड में अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में किसी एक का चयन करेंगे, और बदले में राज्य सरकार को इसकी सूचना देंगे।

(ख) यदि कुलाधिपति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों से असहमत हैं, तो वह लिखित में कारण दर्ज करेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे।

(ग) राज्य सरकार जैसा आवश्यक समझे अपने विचारों को लिखित रूप में संप्रेषित करेगी और ऐसे मामलों में कुलाधिपति अपने नामित व्यक्ति को अंतिम रूप देंगे।

(घ) कुलपति, प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार और कुलसचिव का चयन और विश्वविद्यालय के किसी भी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या बोर्ड में किसी भी व्यक्ति का नामांकन राज्य सरकार द्वारा गठित एक खोज समिति के पैनल के माध्यम से होगा। सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या उसके संयोजन के माध्यम से खोज समिति, उम्मीदवार के चयन के लिए 3 नामों के

एक पैनल की पहचान करेगी। खोज समिति के सदस्यों को संबंधित विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजों से नहीं जोड़ा जाएगा। खोज समिति का गठन निम्नवत होगा:-

i. झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

ii. सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार- सदस्य

iii. झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति- सदस्य।

(ङ) पैनल तैयार करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्त्तमान मानदंडों के अतिरिक्त सरकार या विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासन में पर्याप्त अनुभव जैसी वांछनीय योग्यताओं का पालन किया जाएगा।

(च) इस विश्वविद्यालय के किसी भी परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इस विश्वविद्यालय के किसी निकाय या परिषद् या प्राधिकार या समिति के अध्यक्ष का निर्णय राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जब तक कि इसे विश्वविद्यालय के अधिनियम में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया हो।

11. कुलपति:

(1) कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उनके समक्ष रखे गए नामों की वरीयता के क्रम को बनाए रखते हुए राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को कुलपति के पद को धारण करने के लिए तब तक योग्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह एक प्रतिष्ठित विद्वान न हो और उसे अत्यधिक शैक्षणिक रुचि न हो।

इसके अलावा, उच्चतम स्तर की योग्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाऐगा। नियुक्त होने वाले कुलपति एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होने चाहिए, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रणाली में प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

इसके अलावा, यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार या विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक अनुभव हो।

(3) पहली बार में पदग्राही व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण नहीं करने की किसी भी स्थिति को पूरा करने के लिए, या मृत्यु, इस्तीफा या कुलपति को हटाने के कारण कुलपति का पद रिक्त होने की

स्थिति में कुलाधिपति द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इस धारा की उप-धारा (1) में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कुलपति की नियुक्ति करेंगे।

(4) (i) कुलपति एक पूर्णकालिक अधिकारी होंगे तथा वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु पद धारण करेंगे।

(ii) परंतु यह कि कुलपति के पद पर आवेदन करने की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त अवधि के जारी रहने पर, उसे कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार उप-धारा (1) के तहत पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा और वह राज्य सरकार की सहमति पर अधिकतम 3 वर्षों के कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेंगे।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे, और विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने के हकदार होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे:

परंतु यह कि कुलपति पहली बार में वोट नहीं देंगे, लेकिन वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक वोट का प्रयोग करेंगे।

(6) कुलपति राज्य सरकार को सूचित कर परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या बोर्ड की कोई भी बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(7) कुलपति को विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर तथा कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए परिनियमों और अध्यादेशों के अंतर्गत, स्वीकृत ग्रेड वेतनमान और कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के अन्य सेवकों की स्वीकृत संख्या के अधीन पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक और अधिकारी नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारियों एवं अन्य सेवकों पर नियंत्रण एवं पूर्ण अनुशासनात्मक अधिकार की शक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का कड़ाई से रोस्टर के अनुसार पालन किया जायेगा। इन सभी नियुक्तियों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाऐगा।

(8) विश्वविद्यालय चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(क) कुलपति - अध्यक्ष

(ख) प्रति कुलपति - सदस्य

(ग) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून) - सदस्य

(घ) वित्त विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून) - सदस्य

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)- सदस्य

(9) कुलपति के प्रतिनिधि को विभागों और भवनों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उपकरणों और विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी अन्य संस्थान का दौरा करने और निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(10) अध्यादेश या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलपति विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार और कुलसचिव के अलावा अन्य शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उनके कर्तव्यों को परिभाषित करेगा।

(11) यदि कार्यकारी परिषद् या अकादमिक परिषद् के सत्र के अलावा किसी भी समय कुलपति आश्वस्त हैं कि एक आपात स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें उन्हें कार्यकारी परिषद् या अकादमिक परिषद् में निहित किसी भी शक्ति के प्रयोग को शामिल करते हुए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस अधिनियम के तहत, ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझे, और अपने द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे जो या तो इस प्रकार की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकती है या इसे अस्वीकृत कर सकती है।

(12) (i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह देखें कि क्या विश्वविद्यालय की कार्यवाही इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार की जाती है या नहीं तथा कुलपति राज्य सरकार को ऐसी प्रत्येक कार्यवाही को प्रतिवेदित करेंगे जो ऐसे प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(ii) जब तक कुलपति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता कि विश्वविद्यालय की कार्यवाही इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के अनुसार है, कुलपति के पास प्रतिवेदित कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार होगा।

(13) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों के निर्णयों को प्रभावी करेंगे।

(14) कुलपति के पास विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों (प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार और कुलसचिव के अतिरिक्त) और विश्वविद्यालय के शिक्षकों सहित विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।

(15) कुलपति, यदि उनकी राय है कि किसी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और प्राधिकार की अगली बैठक में ऐसे मामले में उनके द्वारा की गई कार्रवाई को प्रतिवेदित करेंगे:

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकार की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह इस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसका निर्णय अंतिम होगाः

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय सेवा का कोई भी व्यक्ति जो इस उप- धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, उसे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कार्यकारी परिषद् में उस तिथि से तीन माह के भीतर अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर उसे ऐसे कार्रवाई की सूचना दी जाती है और इसके उपरांत कार्यकारी परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि संशोधन या उलट सकती है।

(16) कुलपति, यदि उनकी राय है कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार का कोई भी निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकार की शक्तियों से परे है या लिया गया कोई भी निर्णय विश्वविद्यालय हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकार को इस तरह के निर्णय के साठ दिनों के भीतर अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कह सकता है और यदि प्राधिकार या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निर्णय की समीक्षा करने से इनकार करता है या साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(17) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

12. राज्य सरकार के साथ कुलाधिपति और कुलपति द्वारा पत्राचार का तरीका:

(1) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, हर मामले में, कुलपति द्वारा कुलाधिपति को किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी पत्राचार की एक प्रति सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार को प्रेषित की जाऐगी।

(2) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/बोर्ड की बैठक, जैसा भी मामला हो, कुलपति द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचित कर आहूत की जाऐगी तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रिकॉर्ड के लिए कुलाधिपति को इसकी सूचना देगा।

(3) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, दीक्षांत समारोह के संबंध में सभी सूचनाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ध्यान में लाया जाएगा।

(4) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को कोई मानद उपाधि प्रदान करने के सभी प्रस्तावों को सहमति के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समक्ष रखा जाएगा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कुलाधिपति को उनकी पुष्टि के लिए अवार्ड ग्रहण करने वालों की सूची भेजेगा।

(5) कुलाधिपति द्वारा इस विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक पत्र की एक प्रति उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. कुलपति को हटाया जाना:

(1) यदि किसी भी समय और ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझा जाए, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति: -

(क) इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेश के द्वारा या उसके प्रदत्त किसी कर्तव्य का निर्वहण करने में विफल रहा हो, या

(ख) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल तरीके से काम किया हो, या

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहा हो,

कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति के पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कुलपति को एक लिखित आदेश द्वारा इसके कारणों को बताते हुए, उस तिथि से जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया हो परन्तु राज्य सरकार के अनुशंसा के उपरांत ही इस्तीफा माँग सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि विशिष्ट आधारों को बताते हुए ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और कुलपति को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ स्पष्टीकरण का एक उचित अवसर नहीं दिया गया है।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तिथि से यह माना जाएगा कि कुलपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कुलपति का पद रिक्त माना जाएगा।

14. प्रति कुलपति:

(1) प्रति कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा उसी प्रकार की जाएगी जैसे कुलपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित है। प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रति कुलपति की नियुक्ति, सेवा के ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) प्रति कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह ऐसी शर्तों पर, जो उप-धारा (1) के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु यह कि प्रति कुलपति के पद पर आवेदन करने की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त अवधि के जारी रहने पर, उसे उप-धारा (1) के अनुसार कुलाधिपति द्वारा फिर से नियुक्त किया जा सकता है और वह राज्य सरकार की सहमति पर अधिकत्तम तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) प्रवेश, परीक्षाओं के संचालन और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन के लिए एवं छात्र कल्याण के लिए प्रति कुलपति जिम्मेदार होंगे एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रति कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं या उन्हें प्रदान किए जा सकते हैं।

(4) प्रति कुलपति को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे धारा 13 में कुलपति को हटाने के लिए निर्धारित किया गया है।

15. कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति में कार्य की व्यवस्था: अवकाश, बीमारी या किसी अन्य कारण से कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, प्रति कुलपति के लिए कुलपति की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना वैध होगा, ऐसे मामले कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तत्काल सूचित किए जायेंगे और यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति लंबी अवधि के लिए है, तो कुलाधिपति राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

16. वित्तीय सलाहकार:

(1) वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा उन्हें राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वह या तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी या भारत सरकार की किसी अन्य लेखा सेवा से उप महालेखाकार या उपर स्तर के अधिकारियों में एक होंगे जो इस पद पर प्रतिनियुक्त या पुनर्नियोजित होंगे। वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) वित्तीय निहितार्थ वाले सभी प्रस्तावों में वित्तीय सलाहकार की सलाह अनिवार्य होगी।

(3) वित्तीय सलाहकार वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(4) वित्तीय सलाहकार कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा और वित्त अधिकारी सीधे वित्तीय सलाहकार के नियंत्रण में काम करेगा।

(5) वित्तीय निहितार्थ वाले सभी मामलों पर वित्तीय सलाहकार की सलाह प्राप्त करना कुलसचिव की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, यह कुलसचिव की जिम्मेदारी होगी कि वह इस तरह के

प्रस्ताव को कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखते समय विशेष रूप से उल्लेख करे कि वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर ली गई है या उसने प्रस्ताव से सहमति नहीं ली है।

(6) यदि किसी वित्तीय प्रस्ताव में कुलपति या कार्यकारी परिषद् वित्तीय सलाहकार की सलाह के विपरीत निर्णय लेती है, तो ऐसा निर्णय लागू नहीं किया जाएगा और यह मामला कुलपति द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(7) विश्वविद्यालय बजट तैयार करना, लेखाओं का अनुरक्षण, समय-समय पर लेखाओं का अंकेक्षण, अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन, राज्य सरकार से स्वीकृत बजट के अनुसार अनुदानों की समय पर प्राप्ति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान की व्यवस्था करना, विश्वविद्यालय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को निर्धारित तरीके से सही ढंग से और समय पर जमा करने की जिम्मेदारी वित्तीय सलाहकार की होगी।

(8) वित्तीय सलाहकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह देखें कि विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामले अधिनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेश, विनियमों तथा नियमों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

17. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष:

(1) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों या सह प्राध्यापकों में से दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यह कि यदि कुलपति प्रशासनिक कारणों से आवश्यक समझे तो वह संकायाध्यक्ष को उसके मूल पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को शेष अवधि के लिए संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त शिक्षक अपने मूल पद पर ग्रहणाधिकार धारण करेगा और उन सभी लाभों के लिए पात्र होगा जो उन्हें अन्यथा अर्जित होते, यदि उन्हें छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया होता।

18. कुलानुशासक:

(1) कुलपति विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों में से कुलानुशासक की नियुक्ति करेंगे जो सह प्राध्यापक के पद से अन्यून हों।

(2) उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा और उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि यदि कुलपति किसी भी समय प्रशासनिक आधार पर उचित समझे तो कुलानुशासक को उसके मूल पद पर वापस भेज सकेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए कुलानुशासक के रूप में नियुक्त कर सकेंगे।

(3) इस्तीफे या बीमारी या किसी अन्य कारण से कुलानुशासक की रिक्ति के मामले में, उसके कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) कुलानुशासक के कर्तव्यों का निर्धारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा।

19. संकायाध्यक्ष:

(1) एक संकायाध्यक्ष को कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए संकाय के प्राध्यापकों में से नियुक्त किया जाएगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

पंरतु यह कि एक संकायाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस रूप में पद पर बने रहना बंद कर देगा: यदि किसी भी समय किसी संकाय में कोई प्राध्यापक नहीं है, तो कुलपति, या कुलपति द्वारा अधिकृत संकायाध्यक्ष, इस संबंध में एक संकाय के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब संकायाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो।

(3) संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष होंगे और विभाग में शिक्षण तथा अनुसंधान के मानकों के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

(4) संकायाध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, संकाय की समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

20. क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक:

(1) क्षेत्रीय केंद्र के प्रत्येक निदेशक को इस तरह से नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों/ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(2) निदेशक क्षेत्रीय केंद्र का अकादमिक और प्रशासनिक प्रमुख होगा।

(3) क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर चक्रानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(4) निदेशक की सेवाऐं विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा शासित होंगी।

(5) निदेशक की सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कहीं भी किया जा सकेगा।

(6) वह परिनियमों द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक निकायों की बैठकों में भाग लेगा।

(7) वह क्षेत्रीय केंद्र में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर का कार्यान्वयन करेगा।

(8) निदेशक असज्जित आवास का हकदार होगा जिसके लिए उसे निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे आवास की अनुपलब्धता के मामले में वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मकान भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। उसे मोबाइल फोन और मुफ्त टेलीफोन सेवा प्रदान की जाएगी।

(9) निदेशक ऐसे अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि और अन्य वित्तीय लाभों का हकदार होगा जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपने गैर-अवकाश कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है। वह कार्यालय और उसके निवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

(10) क्षेत्रीय केंद्र के विकास के लिए एक प्रबंधन बोर्ड होगा जो कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के अनुसार गठित किया जाएगा।

(11) निदेशक प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे:

परंतु यह कि कुलपति, यदि उपस्थित हों, इसकी अध्यक्षता करेंगे।

(12) निदेशक के पास क्षेत्रीय केंद्र के प्रबंधन बोर्ड को क्षेत्रीय केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ दंड लगाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई/निलंबन की जाँच लंबित रखने की अनुशंसा करने की शक्ति होगी।

21. कुलसचिव:

(1) कुलसचिव एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीकों से और ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी।

इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलसचिव को राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा, जो अधिनियम के लागू होने के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति तक और ऐसी शर्तों पर होगा जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे।

(2) कुलसचिव का चयन अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

(3) कुलसचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

(4) कुलसचिव-

(क) कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश का प्रबंधन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किए गए सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेगा;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा जो समय-समय पर परिनियमों, अध्यादेशों, या विनियमों और नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं तथा जो कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् द्वारा उस पर बनाए, प्रदत्त और लगाए जा सकते हैं;

(ङ) सामान्यतया कुलपति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जो उसके कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा वांछित हो।

(5) इस अधिनियम या परिनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी उप-धारा (1) एवं (2) अनुसार, कुलाधिपति राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या राज्य विधानमंडल के अध्यादेश द्वारा स्थापित किसी स्वायत्त निकाय के एक अधिकारी को कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेंगे।

22. वित्त पदाधिकारी:

(1) वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, या जो समय-समय पर प्रदान किए जा सकते हैं या उस पर कार्यकारी परिषद्, कुलपति, प्रति कुलपति या कुलसचिव द्वारा लागू किए गए हैं।

(2) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

(3) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) वित्त पदाधिकारी की परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(5) जब वित्त पदाधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त पदाधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(6) वित्त पदाधिकारी-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और अपनी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सुझाव देगा; तथा

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेगा जो कार्यकारी परिषद् द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं या जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(7) कार्यकारी परिषद् के नियंत्रण के अधीन, वित्त पदाधिकारी-

(क) ट्रस्ट और संपन्न संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश को संरक्षित और प्रबंधित करेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित सीमा को पार नहीं किया गया है और सभी धन उसी उद्देश्य के लिए व्यय किए गए हैं जिसके लिए उन्हें प्रदान या आवंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बजट को तैयार करने और कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे;

(घ) नकदी और शेष राशि और निवेश की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे;

(ङ) राजस्व के संग्रह की प्रगति को देखना और नियोजित संग्रह के तरीकों पर सलाह देंगे;

(च) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के पंजीयों को अद्यतन रखा गया है और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यालयों, केंद्रों, विशेष प्रयोगशालाओं, कॉलेजों और केंद्रों में उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक की जाँच की जाती है;

(छ) अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के संज्ञान में लाना और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना; तथा

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, कॉलेज से कोई भी जानकारी मांगना जो वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझे।

(8) विश्वविद्यालय को देय किसी भी धन के लिए वित्त पदाधिकारी या कार्यकारी परिषद् द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा दी गई कोई रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिए पर्याप्त निर्वहन होगी।

23. परीक्षा नियंत्रक: परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और परीक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या जो समय-समय पर प्रदान किए जा सकते हैं या उस पर कुलपति या प्रति कुलपति द्वारा लागू किये गए हों।

24. पुस्तकालयाध्यक्ष: पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति इस तरह से और सेवा के ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

25. अन्य अधिकारी: विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकार: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:-

(1) कार्यकारी परिषद्;

(2) अकादमिक परिषद्;

(3) अध्ययन बोर्ड;

(4) वित्त समिति; तथा

(5) ऐसे अन्य प्राधिकार जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार के रुप में घोषित किया जा सकता है।

27. कार्यकारी परिषद्:

कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

पदेन सदस्य

(1) कुलपति

(2) प्रति कुलपति

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड या उनके प्रतिनिधि

(4) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, एवं कुलानुशासक

(5) कुलसचिव- सदस्य सचिव

अन्य सदस्य

(6) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमानुसार निम्नलिखित क्रम में दो कुलपतियों को नामित किया जाएगा: -

(क) सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

(ख) राँची विश्वविद्यालय, राँची

(ग) कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

(घ) बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

(ङ) नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू

(च) झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची

(छ) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

(ज) विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

(झ) झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची

(ञ) जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर

(ट) बाबा बैद्यनाथ धाम संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर

(7) विश्वविद्यालय विभागों के दो प्रमुख, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, चक्रानुक्रमानुसार नामांकन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(8) विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और सह प्राध्यापक में से दो विभाग प्रमुखों के अलावा और दो ऐसे सहायक प्राध्यापक जिन्हें कम से कम दस साल का शिक्षण अनुभव है, राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाऐंगे।

(9) राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले एक शिक्षाविद जो अपनी विद्वता और शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित हैं।

(10) राज्य सरकार द्वारा पाँच शिक्षाविद जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग से होगा और एक शैक्षणिक और सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जाऐंगे।

(11) यदि उपरोक्त उप-धारा (1) से (9) तक का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तो कुलाधिपति राज्य सरकार की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे व्यक्ति जिन्हें शिक्षा में रुचि हो, को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी परिषद् का सदस्य नामित करेंगे लेकिन यदि तीन वर्षों की उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति (1) से (9) तक किसी भी उप-धारा के तहत सदस्य बन जाता है तो इस उप-धारा के तहत नामित व्यक्ति की कार्यकारी परिषद् की सदस्यता तत्काल प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जाएगी:

परंतु यह कि जब तक उप-धारा (7) और (8) में निर्दिष्ट सीटों को भरने के लिए नियुक्तियाँ नहीं की जाती, राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलाधिपति, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उन सीटों के विरुद्ध कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करेंगे जो प्राध्यापक स्तर से अन्यून हैं:

परन्तु कुलाधिपति, धारा 10 में उप-धारा (2) के अनुसार राज्य सरकार की अनुशंसा और निर्णय के बाद कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।

कार्यकारी परिषद् की बैठक हर दो महीने में एक बार होगी। हालांकि, कुलपति जहाँ भी उचित समझे, एक विशेष बैठक बुला सकते हैं।

कार्यकारी परिषद् का क्रमिक उत्तराधिकार होगा और उसका कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति या रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी।

28. कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य: कार्यकारी परिषद्-

(1) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों (बंदोबस्ती, वसीयत और दान के साथ) और उनके लाभ के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को की गई संपत्ति के अन्य हस्तांतरणों को धारण, नियंत्रित और प्रबंधित करेगा;

(2) प्रपत्र को विनियमित करेगा, अभिरक्षा प्रदान करेगा और विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के उपयोग को विनियमित करेगा;

(3) इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कुलपति और अकादमिक परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अधीन, अध्यादेश, परिनियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों का निर्धारण और विनियमन करेगा;

(4) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के निष्पादन में रखी गई निधियों का प्रबंधन करेगा;

(5) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण को विश्वविद्यालय के लाभ के लिए स्वीकार करने की शक्ति होगी;

(6) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाएगा, और उनमें संशोधन या निरस्त करेगा;

(7) विनियमों पर विचार करेगा, और उसमें संशोधन या निरस्त करेगा;

(8) ऐसे लेखा पर वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, बजट अनुमान और लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद संकल्प पारित करेगा;

(9) ऐसी डिग्रियाँ (स्नातक और स्नातकोत्तर), उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं स्थापित करेगा और प्रदान करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; तथा

(10) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अध्यादेश या परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए गए हैं।

29. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के कार्यालय की अवधि: इस अधिनियम के तहत अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कार्यकारी परिषद् के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के पद की अवधि, उनके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष होंगी और इसमें कोई और अवधि शामिल होगी जो कार्यकाल की समाप्ति के बीच समाप्त हो सकती है तथा आकस्मिक रिक्तियों के भरने हेतु चुनाव या नामांकन नहीं होने पर अगले चुनाव या नामांकन की तिथि होगी:

परंतु यह कि किसी के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य को उस तारीख से पद रिक्त माना जाएगा जिस तारीख से वह उस निकाय का सदस्य नहीं रहेगा जिसने उसे नामित किया था।

30. अकादमिक परिषद्:

(1) अकादमिक परिषद् में सम्मिलित होंगे:-

पदेन सदस्य

(क) कुलपति

(ख) प्रति कुलपति

(ग) संकायाध्यक्ष

(घ) निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र

(ङ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष एवं कुलानुशासक

(च) सभी विभागाध्यक्ष

(छ) विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष

(ज) कुलसचिव- सदस्य सचिव

अन्य सदस्य

(झ) विश्वविद्यालय सेवा के बाहर से अधिकतम दो विशेषज्ञ, आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अकादमिक परिषद् द्वारा सहयोजित किए जाऐंगे:

परन्तु जब तक उपरोक्त उप-धाराओं में विनिर्दिष्ट स्थानों को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्तियाँ नहीं की जाती कुलाधिपति आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से इतनी ही संख्या में ऐसे शिक्षकों को अकादमिक परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करेंगे जो प्राध्यापक स्तर से अन्यून हैं।

अकादमिक परिषद् की बैठक महीने में एक बार होगी। तथापि, कुलपति, जब भी ठीक समझे, एक विशेष बैठक बुला सकते हैं।

(2) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के पद की अवधि उनके संबंधित चुनाव या नामांकन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसमें कोई और अवधि शामिल होगी जो उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बीच समाप्त हो सकती है तथा आकस्मिक रिक्तियों के भरने हेतु चुनाव या नामांकन नहीं होने पर अगले चुनाव या नामांकन की तिथि होगी:

परंतु यह कि निर्वाचित या मनोनीत किसी भी सदस्य को उस तारीख से पदमुक्त माना जाएगा, जिस दिन वह उस निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है जिसने उसे चुना या नामित किया था।

31. अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य: अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक और नियोजन निकाय होगा और-

(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कुलपति और कार्यकारी परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अधीन, इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी शैक्षणिक और योजना मामलों का निर्धारण और विनियमन;

(2) पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑनलाइन मोड और संपर्क कार्यक्रम और विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने सहित निर्देश और शिक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ एवं जिम्मेदारी;

(3) विश्वविद्यालय के विकास और सुधार की योजना और कार्यक्रम तैयार करना और अंतिम रूप देना, इसके क्षेत्रीय पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन जिसमें शिक्षण के नए तरीके शामिल हैं और समान संगठनों, अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करना;

(4) विभागों और क्षेत्रीय केंद्रों में शिक्षण के संचालन पर इस तरह से पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना जैसा परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए;

(5) परीक्षा बोर्ड पर सामान्य नियंत्रण की शक्तियाँ होंगी, और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा कर सकेंगे; तथा

(6) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि परिनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित किए जाऐं।

32. संकाय, संकायाध्यक्ष और विभागों के प्रमुख:

(1) विश्वविद्यालय के संकायों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा और ऐसे अन्य संकाय शामिल हो सकते हैं जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐं:

परंतु यह कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना शिक्षा की किसी भी शाखा के संबंध में अकादमिक/कार्यकारी परिषद् द्वारा कोई भी संकाय/पद सृजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु अकादमिक परिषद् द्वारा शिक्षा की ऐसी किसी भी शाखा के संबंध में जिसके लिए विश्वविद्यालय के किसी विभाग में कोई प्रावधान नहीं है, कोई संकाय सृजित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकायों में प्रदान की जाने वाली डिग्रियाँ (स्नातक और स्नातकोत्तर) कला में होंगी।

(2) प्रत्येक संकाय, अकादमिक परिषद् के नियंत्रण के अधीन, अध्ययन के पाठ्यक्रमों का प्रभारी होगा तथा ऐसे विषयों में पाठ्यक्रम संचालित करेगा और शोध कार्य करेगा जो इस तरह के संकाय को विनियम द्वारा सौंपा जा सकता है।

(3) प्रत्येक संकाय के सदस्यों की कुल संख्या उस संख्या से अधिक नहीं होगी जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(4) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक संकाय में निम्न शामिल होंगे-

(क) शिक्षक सदस्यों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अकादमिक परिषद् द्वारा प्रत्येक संकाय को उतनी संख्या में शिक्षक सौंपे जाऐं;

(ख) ऐसे सदस्यों की संख्या जो अकादमिक परिषद् के सदस्य नहीं हैं, अकादमिक परिषद् द्वारा विशेषज्ञों के रूप में सहयोजित की जाऐगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति दो से अधिक संकायों का सदस्य नहीं होगा।

i. प्रत्येक संकाय में शिक्षण के ऐसे विभाग शामिल होंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए, परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी। प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क) विभागाध्यक्ष;

ख) विभाग के शिक्षक;

ग) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

घ) संकायाध्यक्ष;

ङ) विभाग से जुड़े मानद प्राध्यापक, यदि कोई हों; तथा

च) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विभाग के सदस्य हो सकते हैं।

ii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक संकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

क) इसे आवंटित विभागों के अध्ययन पाठ्यक्रमों के बोर्डों का गठन करने के लिए; तथा

ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाऐं।

(5) (i) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा, परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, प्राध्यापकों में से संबंधित संकाय में दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी:

परन्तु यह कि जब किसी संकाय में प्राध्यापक की योग्यता रखने वाला कोई शिक्षक नहीं है, तो एक शिक्षक जो सह-प्राध्यापक से अन्यून हो, को संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ii) संकायाध्यक्ष उस संकाय में शिक्षण और शोध कार्य के संचालन के लिए कुलपति के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(6) जहाँ किसी ऐसे शिक्षक को विभाग का प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो विभाग का सबसे वरिष्ठ प्राध्यापक या सह प्राध्यापक नहीं है, ऐसी कोई भी नियुक्ति अकादमिक परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।

33. विभागीय परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागीय परिषद् होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) विभागाध्यक्ष

(ख) विभाग के सभी शिक्षक

(ग) दो छात्र - प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक कुलपति द्वारा और दूसरा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित

(2) विभागीय परिषद्, समय-समय पर, विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और इसके सुधार के उपाय सुझाएगी।

यह परिषद् वर्ष में कम से कम तीन बार विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथियों पर बैठक करेगी। दो बैठकों के बीच में तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

34. परीक्षा बोर्ड:

(1) विनियमों के प्रावधानों के अधीन, परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सलाह दी जाएगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और सदस्यों के रूप में संकायाध्यक्ष शामिल होंगे।

(2) परीक्षा बोर्ड, परीक्षा आयोजित करने और परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्नपत्र तैयार करने और संयमित करने, परीक्षा परिणामों की तैयारी, संयमन और प्रकाशन, ऐसे परीक्षा परिणामों को अकादमिक परिषद् में जमा करने और आम तौर पर परिनियमों को विनियमित करने, छात्रों की उपलब्धि के सही मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार के लिए कुलपति को सुझाव देगा तथा कुलपति अंतिम निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे:

परन्तु यह कि कुलपति परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत नामों के पैनल से प्रश्नकर्ता और परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

35. परीक्षाओं का आयोजन:

(1) विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित तिथियों से आयोजित की जाएगी।

(2) परीक्षाओं के परिणाम संबंधित परीक्षा के पूरा होने के साठ दिनों के भीतर प्रकाशित किए जाऐंगे, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

36. योजना और मूल्यांकन समिति:

(1) विश्वविद्यालय के विकास और सुधार के लिए योजना कार्यक्रम तैयार करने और इसके अध्ययन, समय-समय पर परीक्षण और मूल्यांकन, ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राप्त प्रगति, परीक्षण और विकास, शिक्षण के नए तरीके (ऑनलाइन मोड सहित) और इनमें से

किसी भी उद्देश्य के लिए समान संगठनों, अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक योजना और मूल्यांकन समिति होगी।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) कुलपति;

(ख) प्रति कुलपति;

(ग) तीन संकायाध्यक्षों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाएगा;

(घ) कार्यकारी परिषद् के दो सदस्यों को नामित किया जायेगा;

(ङ) अकादमिक परिषद् के दो सदस्यों को नामित किया जायेगा;

(च) प्रत्येक वर्ष कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से तीन विभागाध्यक्षों को नामित किया जाएगा; तथा

(छ) अकादमिक हितों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो ऐसे सदस्य, जिन्हें समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकता है, या तो हर साल बारी-बारी से या विषय या विषयों के अनुसार, जैसा कि आवश्यक हो।

(3) कुलसचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(4) पदेन सदस्यों के अलावा तथा विशेष रुप से प्रदान किए गए को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होगा।

37. शोध परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में शोध कार्य के पंजीकरण और उचित मार्गदर्शन के लिए एक अलग स्नातकोत्तर शोध परिषद् होगी जो अकादमिक परिषद् के सामान्य नियंत्रण में काम करेगी।

(2) स्नातकोत्तर शोध परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

(क) कुलपति;

(ख) प्रति कुलपति;

(ग) संबंधित संकायाध्यक्ष;

(घ) सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और वैसे शिक्षक जिनके पास विश्वविद्यालय विभाग में सह प्राध्यापक के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव है; तथा

(ङ) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित संकाय के स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान करने वाले चार शिक्षक।

(3) स्नातकोत्तर शोध परिषद् की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

38. अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड:

अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे:

परन्तु यह कि अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की पर्याप्त संख्या होगी।

39. वित्त समिति:

(1) वित्त समिति में सम्मिलित होंगे-

(क) कुलपति अध्यक्ष के रुप में;

(ख) वित्तीय सलाहकार सदस्य के रुप में;

(ग) राज्य सरकार का एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामित तथा विशेष सचिव से अन्यून हो;

(घ) वित्त पदाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में; और

(ङ) चार ऐसे अन्य सदस्य जो कार्यकारी परिषद् के आधिकारिक सदस्य नहीं हैं, जो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों द्वारा और उनमें से परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से चुने जाने हैं।

(2) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल उनके चुनाव की संबंधित तारीखों से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा और इसमें कोई और अवधि शामिल होगी जो उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बीच समाप्त हो सकती है तथा आकस्मिक रिक्तियों के भरने हेतु चुनाव या नामांकन नहीं होने पर अगले चुनाव या नामांकन की तिथि होगी।

(3) वित्त समिति-

(क) अपने वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रश्न पर विश्वविद्यालय को सलाह देगी;

(ख) विश्वविद्यालय के विभागों और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्रों के अनुमानों सहित विश्वविद्यालय की आय और व्यय का वार्षिक अनुमान तैयार करेगी;

(ग) परिनियमों के अधीन, क्षेत्रीय केंद्रों के प्राक्कलनों की जाँच करने की शक्ति होगी;

(घ) परिनियमों के अधीन, विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलनों में प्रदान नहीं किए गए नए व्यय की प्रत्येक मद की जांच करने की शक्ति होगी;

(ङ) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के खातों के रखरखाव से संबंधित परिनियमों का कड़ाई से पालन के लिए जिम्मेदार होगी; तथा,

(च) वित्तीय प्रकृति के ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या कार्यकारी परिषद् द्वारा इसे सौंपे जाऐंगे।

40. अयोग्यता:

(1) एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा,

(क) अगर वह विकृत चित्त का है; या

(ख) यदि वह अनुन्मोचित्त दिवालिया है; या

(ग) अगर उसे विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है

(2) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है या नहीं, तो प्रश्न राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

41. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार:

अन्य प्राधिकारों का संविधान, शक्तियाँ और कार्य, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किया जा सकता है, परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की पर्याप्त संख्या होगी।

42. परिनियम:

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए परिनियम उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्: -

(क) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम और शक्तियाँ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों का संविधान, शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य;

(घ) विभागों की संस्था, उनका रखरखाव और प्रबंधन;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वर्गीकरण, उनकी नियुक्ति का तरीका और उनकी मान्यता;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए नई पेंशन योजना और बीमा का गठन;

(छ) संख्या, योग्यता, ग्रेड वेतनमान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण और विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार करने के बाद नए पदों के सृजन सहित अन्य पदों के सृजन के मामले में अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् की अनुशंसाऐं और विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद के मामले में कार्यकारी परिषद् की अनुशंसा;

(ज) विश्वविद्यालय की आय और व्यय के लेखों का रखरखाव और प्रपत्र और पंजी जिसमें ऐसे लेखा रखे जाऐंगे;

(झ) शिक्षकों के एक पंजी का रखरखाव;

(ञ) मानद डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर), डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और विशिष्टता प्रदान करना; तथा

(ट) अन्य सभी मामले जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा निर्धारित किए गए या किए जा सकते हैं।

(ठ) इस अधिनियम के लागू होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम परिनियम, विनियम और अध्यादेश तीन महीने के भीतर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

43. राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्ति हेतु कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा: इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना निम्न कार्य नहीं करेगाः-

(क) वित्तीय दायित्व से संबंधित कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण पद सृजित करना:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण पद सृजित कर सकता है जो स्व-वित्तपोषित योजनाओं पर चलता है और जिसमें वित्तीय दायित्व शामिल नहीं है, लेकिन वे भविष्य में इन पदों की पुष्टि के लिए दावा नहीं करेंगे;

(ख) शिक्षण या गैर-शैक्षणिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष वेतन या भत्ता या किसी भी प्रकार का अन्य पारिश्रमिक, अनुग्रह भुगतान, पेंशन या वित्तीय निहितार्थ वाले किसी भी अन्य लाभ की स्वीकृति;

(ग) विकास योजना पर किसी भी प्रकार का व्यय वहन करना।

44. परिनियम किस प्रकार बनाया जाऐगा:

(1) कार्यकारी परिषद् या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अकादमिक परिषद् द्वारा प्रस्तुत करने पर परिनियम बना सकती है या उसमें संशोधन या निरस्त कर सकती है:

परन्तु यह कि कार्यकारी परिषद् ऐसी कोई भी परिनियम नहीं लाऐगी जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारों की स्थिति, शक्तियों और गठन को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि उस प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित राय प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो तथा कार्यकारी परिषद् को लिखित में ऐसी राय पर विचार करना होगा।

(2) यदि किसी परिनियम या उसके किसी हिस्से का प्रारुप अकादमिक परिषद् द्वारा कार्यकारी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद पुनर्विचार के लिए अकादमिक परिषद् को वापस भेज दिया जाता है और अकादमिक परिषद् सहमत नहीं होती है, तो कार्यकारी परिषद् द्वारा सुझाए गए संशोधन पर पुनर्विचार करने के बाद यह कार्यकारी परिषद् के लिए परिनियम या परिनियम के एक हिस्से को ऐसे रूप में पारित करने के लिए वैध होगा जैसा कि वह उचित समझे और

कार्यकारी परिषद् का निर्णय उप-धारा (3) और उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों के अधीन अंतिम होगा।

(3) यदि किसी भी परिनियम का प्रारुप कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित किया गया है तो उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो यह घोषणा कर सकती है कि वे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, या प्रदत अनुमोदन को रोकते हैं।

(4) कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित एक परिनियम तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

45. अध्यादेश:

(1) कार्यकारी परिषद् इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए अध्यादेश बना सकती है, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन

(ख) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश, डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर), प्रमाण पत्र और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा के लिए शुल्क

(ग) विश्वविद्यालय की समिति का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य

(घ) सभी मामले जो परिनियम या अधिनियम के अनुसार अध्यादेशों द्वारा प्रदान किए जाने हैं या प्रदान किए जा सकते हैं

(2) उप-धारा (1) के तहत कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाया गया एक अध्यादेश राज्य सरकार को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके द्वारा अध्यादेश को संशोधन के साथ या बिना अनुमति देगा या वह उस पर से अनुमति रोक सकता है।

(3) एक अध्यादेश तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (2) के तहत अनुमोदित नहीं किया जाता है।

46. विनियम कैसे बनाया जाऐगा:

(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन विनियमों को निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान करने के लिए बनाया जा सकता है, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के सभी डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर), प्रमाण पत्र और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ख) वह शर्त जिसके तहत विद्यार्थियों को डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर) या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वह ऐसी डिग्री और डिप्लोमा प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे;

(ग) संकायों में विभागों का गठन;

(घ) प्रश्न पत्र निर्धारकों और परीक्षकों की नियुक्ति की पद्धति तथा कर्तव्य और परीक्षाओं के संचालन की शर्तें; तथा

(ङ) सभी मामले जो अध्यादेशों, परिनियमों या अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा प्रदान किए जाने हैं या प्रदान किए जा सकते हैं।

(2) (i) उप-धारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा बनाए गए एक विनियम को जल्द से जल्द कार्यकारी परिषद् को विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाएगा। जहां कार्यकारी परिषद् कोई संशोधन करना चाहती है, तो वह अकादमिक परिषद् की राय प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

(ii) ऐसा विनियम उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से इसे राज्य सरकार द्वारा किसी संशोधन के या बिना किसी संशोधन के अनुमोदित किया जायेगा या ऐसी अन्य तिथि से जो कार्यकारी परिषद् निर्धारित करे।

47. नियम:

(1) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाई गई परिनियमों के तहत गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकार और बोर्ड निम्नलिखित मामलों के लिए अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुरूप नियम बना सकते हैं, अर्थात्:-

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और कोरम के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;

(ख) किसी भी ऐसे प्राधिकारों और बोर्डों के अधीनस्थ समितियों द्वारा अपनी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और कोरम बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;

(ग) उन सभी मामलों के लिए जो केवल अध्यादेशों, परिनियमों, अधिनियम या विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं, नियमों का निर्धारण करना; तथा

(घ) अन्य सभी मामलों के लिए विशेष रूप से ऐसे प्राधिकारों, समितियों और बोर्डों से संबंधित जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकार ऐसे प्राधिकार के सदस्यों को बैठकों की तिथियों और बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए नियम बना सकता है।

48. कतिपय परिनियम आदि के निर्माण संबंधित मामलों में उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा: विश्वविद्यालय सभी प्रस्तावित परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों

के प्रारुप राज्य सरकार के विचारार्थ उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद ही इसका पालन करेगा।

49. छात्र संघ:

(1) विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से मिलकर विश्वविद्यालय के छात्रों का एक संघ होगा।

(2) विश्वविद्यालय छात्र संघ का संगठन और कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

50. वार्षिक प्रतिवेदन:

(1) विश्वविद्यालय के कामकाज पर वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति के निर्देशन में तैयार की जाएगी और इसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदमों को शामिल किया जाएगा तथा इसे कार्यकारी परिषद् को वैसी तिथि को या उससे पहले, जैसा कि परिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, को प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर कार्यकारी परिषद् द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा, जो इस तरह की कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए संकल्प पारित कर सकती है, जैसा कि ऐसे संकल्पों में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

परन्तु यह वार्षिक लेखों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और न ही वार्षिक प्रतिवेदन पर संकल्प में ऐसा कुछ भी होगा जो वार्षिक लेखाओं के अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुमान लगाने में प्रभावी हो:

परन्तु यह और कि वार्षिक लेखाओं के प्रतिवेदन, संकल्प सहित, यदि कोई हो, कार्यकारी परिषद् के अगले सत्र में विचारार्थ विधायिका के समक्ष रखी जाएगी।

(2) कार्यकारी परिषद्, उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगी, जिसे यथाशीघ्र, यदि आवश्यक हो तो विधायिका के समक्ष रखा जाएगा।

वित्त, लेखा और विश्वविद्यालय का लेखा अंकेक्षण

51. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना:

(1) पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि होगी और यह निधि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय में निहित होगी, जिसमें निहित प्रावधानों के अधीन राशियों को जमा किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि से विश्वविद्यालय को अभीदत्त या अनुदत्त सभी राशि तथा इस अधिनियम और परिनियम, अध्यादेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा उधार ली गई सभी राशि;

(ख) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विभागों द्वारा तथा उनकी ओर से प्राप्त सभी राशि तथा विश्वविद्यालय को भुगतान की गई रकम;

(ग) विश्वविद्यालय को किए गए विन्यासों से अर्जित सभी ब्याज और लाभ तथा किसी भी स्थानीय प्राधिकार या निजी व्यक्ति से प्राप्त सभी योगदान, दान और सब्सिडी;

(घ) इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के तहत देय और लगाए गए सभी शुल्क; तथा

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ, जो उप-वर्गों (क), (ख), (ग) या (घ) में शामिल नहीं हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का II) के अर्थ में विश्वविद्यालय की निधि को ऐसे अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का II) द्वारा अधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, राज्य सरकार से कोई अनुदान या अंशदान केवल सार्वजनिक खाता बही में ही रखा जाएगा।

52. विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अभिदान:

(1) राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि में से एक आवर्ती अनुदान विश्वविद्यालय निधि में वार्षिक रूप से अंशदान करेगी जिसमें आवर्ती प्रकृति के सभी व्यय शामिल होंगे।

(2) राज्य सरकार कुलपति के परामर्श से वार्षिक आवर्ती अनुदान की राशि की गणना करेगी तथा प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर राशि को संशोधित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, समय-समय पर, विश्वविद्यालय या क्षेत्रीय केंद्रों के विस्तार और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय निधि में ऐसे अतिरिक्त अनुदानों का अंशदान कर सकती है, जो वह उचित समझे।

53. क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय का वार्षिक प्राक्कलन:

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र का निदेशक, यदि कोई हो, यदि ऐसा करने के लिए आवश्यक हो, तो निर्धारित प्रपत्र में अपनी संभावित आय का एक अनुमान तैयार करेगा जिसमें विन्यासों और वसीयत से आय, यदि कोई हो, और अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यय शामिल है और कार्यकारी परिषद् द्वारा या तो बिना किसी परिवर्तन के या परिवर्तनों के साथ, जो वह ठीक समझे, इसे स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) (i) उप-धारा (1) के तहत प्राक्कलन प्राप्त होने पर इसे कुलपति द्वारा वित्त समिति को तुरंत जाँच और प्रतिवेदन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद, वित्त समिति प्राक्कलन की प्रत्येक मद और विशेष रूप से क्षेत्रीय केंद्रों को सहायता अनुदान से संबंधित

अनुमान के हिस्से की जाँच करेगी और कार्यकारी परिषद् को एक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) कार्यकारी परिषद् वित्त समिति के अनुमान और प्रतिवेदन पर अविलम्ब विचार करेगी और क्षेत्रीय केन्द्रों को उसमें दोष, यदि कोई हो, के सुधार के लिए प्राक्कलन लौटा देगी।

(3) वित्त समिति आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की आय और व्यय का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी और ऐसी तिथि को या उससे पहले, जो निर्धारित की जा सकती है, कार्यकारी परिषद् को व्याख्यात्मक टिप्पणियों वाले एक ज्ञापन के साथ अग्रेषित करेगी जो प्राक्कलन को या तो बिना किसी परिवर्तन के या ऐसे परिवर्तन के साथ, जो वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकती है।

(4) उप-धारा (3) के तहत तैयार किया गया प्रत्येक प्राक्कलन, राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा तथा क्षेत्रीय केंद्रों को अनुदानों के आवंटन सहित विश्वविद्यालय के सभी दायित्वों तथा इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेश, विनियम, नियमों के कुशल प्रशासन को पूरा करने के लिए प्रावधानित होगा।

(5) इस धारा के तहत प्रत्येक प्राक्कलन इस तरह के रूप में तैयार किया जाएगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

54. बजट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

(1) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, विश्वविद्यालय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट, चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम दो महीने पहले राज्य सरकार को भेजेगा। विश्वविद्यालय उसमें आगामी वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमान प्रदर्शित करेगा। राज्य सरकार बजट को ऐसे संशोधनों, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, के साथ लौटाएगी और विश्वविद्यालय यथा संशोधित और अनुमोदित बजट के अनुरूप कार्य करेगा।

(2) विश्वविद्यालय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय राज्य सरकार को एक अनुपूरक बजट भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे संशोधनों, जैसा वह उचित समझे, के साथ विश्वविद्यालय को बजट लौटा देगी।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यय बजट का हिस्सा न बन जाए, जैसा कि उप धारा (1) और (2) के तहत अंतिम रूप से अनुमोदित है।

55. कार्यकारी परिषद् द्वारा प्राक्कलन पर विचार: कार्यकारी परिषद् धारा 54 की उप-धारा (3) के तहत उसके सामने रखे गए प्रत्येक अनुमान पर विचार करेगी और उसे बिना किसी बदलाव के या ऐसे परिवर्तनों के साथ स्वीकृति देगी, जो वह ठीक समझे।

56. बजट में शामिल नहीं किए गए व्यय पर प्रतिबंध:

(1) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से कोई भी राशि तब तक खर्च नहीं की जाएगी जब तक कि उसके खर्च को वर्तमान बजट प्राक्कलनों में शामिल नहीं किया जाता है अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुनर्विनियोजन द्वारा अथवा अंतिम शेष पर निकासी द्वारा उसकी पूर्ति की जाए।

(2) जमा शेष राशि को उस राशि से कम नहीं किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

57. किन उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जाऐगी: विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्यों पर लागू होगी:-

(क) इस अधिनियम और परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए ऋणों की अदायगी के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभागों और क्षेत्रीय केंद्रों के रखरखाव के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और अग्रिमों के भुगतान और किसी भी भविष्य निधि योगदान या पेंशन या ऐसे किसी भी अधिकारी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उपादान के लिए;

(घ) कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारों के सदस्यों या इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए परिनियमों, विनियमों, नियम के किन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों की यात्रा और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए;

(ङ) क्षेत्रीय केन्द्रों और अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिए, यदि कोई हो;

(च) विश्वविद्यालय निधि की अंकेक्षण की लागत और किसी विभाग या क्षेत्रीय केन्द्रों के लेखाओं की अंकेक्षण की लागत का भुगतान करने के लिए;

(छ) किसी वाद या कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार है;

(ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को पूरा करने में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी भी खर्च के भुगतान के लिए; तथा

(झ) किसी भी अन्य खर्च के भुगतान के लिए, जो पूर्ववर्ती उप-धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन कार्यकारी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए व्यय घोषित किया गया है।

58. विश्वविद्यालय निधि का लेखा एवं अंकेक्षण:

(1) (i) विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार कुलपति के निर्देश के अनुसार वार्षिक बजट तैयार करेंगे। विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट में समस्त स्रोतों से आय तथा व्यय की समस्त मदों का उल्लेख होगा।

(ii) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए परिनियमों के अधीन, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार झारखण्ड द्वारा नियुक्त लेखा अंकेक्षकों द्वारा की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की एक प्रति, अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ, प्रतिवेदन प्राप्त होने के छः महीने के अंदर कार्यकारी परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी।

(3) (i) उप-धारा (2) के तहत लेखा अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के छः महीने के भीतर कार्यकारी परिषद् एक एडहॉक समिति नियुक्त करेगी जिसमें स्थानीय निकाय अंकेक्षण के प्रभारी, उप महालेखाकार/वरिष्ठ उप महालेखाकार और/कार्यकारी परिषद् के आठ ऐसे सदस्य होंगे जो वित्त समिति के सदस्य नहीं हैं।

(ii) उक्त समिति को विश्वविद्यालय अंकेक्षण समिति के रूप में जाना जाएगा और उसके पास नियंत्रक और संवितरण अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन की जांच करने के उद्देश्य से शक्ति होगी और यह-

(क) भविष्य में विश्वविद्यालय निधि के किसी भी दुरूपयोग या विश्वविद्यालय के लेखों में अनियमितता से बचने के उपाय सुझाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों से या ऐसा भुगतान करने या अधिकृत करने वाले किसी व्यक्ति से कानूनों के विपरीत कोई भी भुगतान हुए किसी भी राशि की वसूली, या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से किसी भी हानि या कमी की राशि या कोई भी राशि जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी राशि का खाते में लाने में विफल रहने वाले व्यक्ति द्वारा खाते में नहीं लाई गई है, की वसूली के बारे में सुझाव देना।

(4) अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ विश्वविद्यालय अंकेक्षण समिति के प्रतिवेदन को कार्यकारी परिषद् और राज्य सरकार को ऐसी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो वे उचित समझें।

(5) राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह या तो विश्वविद्यालय अंकेक्षण समिति के सुझावों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति जिसने बजट में प्रदान की गई राशि से अधिक या इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी भी व्यय को खर्च या अधिकृत किया है या किसी भी राशि का हिसाब देने में विफल पाया गया है, से परिनियमों में निर्धारित पद्धति से राशि की प्रतिपूर्ति करने की माँग करे:

परन्तु यह कि प्रतिपूर्ति का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकार, अधिकारी, अन्य कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाता है।

59. विश्वविद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण की राज्य सरकार की शक्ति: राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के लेखाओं का अंकेक्षण जैसा वह उचित समझे, करा सकती है और अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उसमें उठाए गए बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से एक प्रतिवेदन मांगने के बाद और विचार करने के बाद, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और उसके बाद विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर करेगा। तथापि, राज्य सरकार किसी भी लेखा को महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण करने का आदेश दे सकती है।

60. रिटर्न और सूचना: विश्वविद्यालय राज्य सरकार को अपनी संपत्ति या गतिविधियों के संबंध में ऐसी विवरणी या अन्य जानकारी देगा जिसकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

61. क्षेत्रीय केंद्रों का निरीक्षण:

(1) क्षेत्रीय केंद्र ऐसे प्रतिवेदन, रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेंगे जो कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद, केंद्रों की दक्षता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए माँग सकती है।

(2) कार्यकारी परिषद् ऐसे प्रत्येक केंद्र का समय-समय पर निरीक्षण करवाएगी।

(3) कार्यकारी परिषद् केंद्र के लाभ के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निरीक्षण किए गए किसी भी केंद्र को बुला सकती है।

(4) निरीक्षण दल निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसे तत्पश्चात् राज्य सरकार को किसी कार्यवाही के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रस्तुत करेगा।

62. शिक्षकों और अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति: शिक्षकों और अधिकारियों (कुलपति, वित्तीय सलाहकार, प्रति कुलपति और कुलसचिव के अलावा) के पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में, मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम यथातथ्यत: लागू होंगे। विश्वविद्यालय के विशेष विभागों से संबंधित विशेष आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए परिनियम बनाए जाऐंगे। ये नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा नियमों के तहत झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसाओं पर की जाऐंगी।

63. नियुक्ति की शर्तें: कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के अधीन, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामले को विश्वविद्यालय चयन समिति की सलाह प्राप्त करने के बाद इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा।

64. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में नामांकन के लिए अहर्ताऐं:

(1) (i) कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इंटरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा आयोजित किसी अन्य समकक्ष परीक्षा वैसे संस्थान से उत्तीर्ण नहीं की है, जो किसी कानून द्वारा वर्तमान में स्थापित है और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है:

परन्तु यह कि जिन विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा या पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका नामांकन अध्यादेश और विनियमों में निर्धारित तरीके से जारी रहेगा।

(ii) राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के संकायों और विभागों में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकती है और इसके लिए जारी निर्देश विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

(iii) राज्य सरकार की आरक्षण नीति विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होगी।

(iv) विभिन्न विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों के तहत समय-समय पर अकादमिक परिषद् द्वारा तय की जाएगी।

(2) **मानद उपाधियाँ:** कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् की अनुशंसा पर और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव दे सकती है, जो अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के अनुसार कार्य करेगी:

परन्तु आपात स्थिति में कार्यकारी परिषद्, स्वप्रेरणा से ऐसे प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) **डिग्री की निकासी, आदि:** कार्यकारी परिषद्, अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी डिग्री (स्नातक या स्नातकोत्तर) या अकादमिक सम्मान या विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा वापस ले सकती है (विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि के मामले में, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी):

परन्तु यह कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस नहीं दिया जाता है, जो नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण दर्शाते हुए कह सकता है कि ऐसा संकल्प क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए और जब

तक उनकी आपत्तियाँ, यदि कोई हो, और उन आपत्तियों के समर्थन में वे जो भी प्रमाण पेश कर सकते हैं, पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया गया हो।

65. विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना:

(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपनी सभी या कोई भी शक्ति, जैसा वह उचित समझे, प्रति कुलपति और ऐसे अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई जो उन्हें उचित लगे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन या दंडस्वरूप निष्कासित किया जाए या किसी विभाग, क्षेत्रीय केंद्रों या विश्वविद्यालय के एक संकाय में एक निश्चित अवधि के लिए पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाए या ऐसी राशि के जुर्माने से दंडित किया जाए जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट है, या विश्वविद्यालय या विभाग या संकाय द्वारा एक या अधिक वर्षों के लिए आयोजित परीक्षा या परीक्षाओं को देने से वंचित किया जाए या उस परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम, जिसमें वह उपस्थित हुए रद्द किया जाए।

(4) क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुखों को विश्वविद्यालय में अपने संबंधित केंद्रों, संकायों और शिक्षण विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जो ऐसे केंद्रों, संकायों और शिक्षण विभाग के उचित संचालन हेतु आवश्यक हों।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कुलपति, निदेशकों और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासन और उचित संचालन के विस्तृत नियम बनाए जाऐंगे।

क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुख भी उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरक नियम बना सकते हैं।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय की एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि वह स्वयं को कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है।

66. विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपील और मध्यस्थता की प्रक्रिया:

(1) कोई भी विद्यार्थी या परीक्षा के लिए उम्मीदवार जिसका नाम कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो, के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की तालिका से हटा दिया गया है, और जिसे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित कर दिया गया हो, ऐसे आदेश या उसके द्वारा इस तरह के संकल्प की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर, कार्यकारी परिषद् में अपील कर सकता है और कार्यकारी परिषद् चाहे जैसा भी मामला हो, कुलपति या समिति के निर्णय की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकती है।

(2) किसी छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न कोई भी विवाद, ऐसे छात्र के अनुरोध पर, राज्य सरकार द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

67. विद्यार्थी परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विद्यार्थी परिषद् का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो छात्र परिषद् के अध्यक्ष होंगे;

(ख) बीस छात्रों को अकादमिक परिषद् द्वारा अध्ययन, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में योग्यता के आधार पर नामांकित किया जाएगा; तथा

(ग) छात्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इतनी संख्या जितनी अकादमिक परिषद् द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले को, यदि अध्यक्ष की सहमति हो, विद्यार्थी परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा, और उसे किसी भी बैठक की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, जब मामला विचारार्थ लिया गया हो।

(2) विद्यार्थी परिषद् का कार्य सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्रों के कल्याण और महत्व के अन्य मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों को सुझाव देना होगा और ऐसे सुझाव राय की सहमति के आधार पर लिए जाऐंगे।

(3) विद्यार्थी परिषद् की बैठक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार विशेषकर उस वर्ष की शुरुआत में होगी।

68. आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ: विश्वविद्यालय के नैक प्रत्यायन के लिए विश्वविद्यालय एक आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) का गठन करेगा, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों की शिक्षा में गुणवत्ता,

पहुँच और समानता हासिल करेगा जैसा कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।

69. प्लेसमेंट प्रकोष्ठ: विश्वविद्यालय इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित, छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का गठन करेगा।

70. आयोग की नियुक्ति:

(1) राज्य सरकार किसी भी समय, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एक आयोग का गठन कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत गठित आयोग निम्नलिखित कार्यों की जाँच करेगी और निम्न पर प्रतिवेदन समर्पित करेगी:-

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज;

(ख) विश्वविद्यालय, उसके क्षेत्रीय केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय स्थिति, यदि कोई हो;

(ग) सुधार लाने की दृष्टि से इस अध्यादेश, परिनियमों, अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन; तथा

(घ) ऐसे अन्य मामले जो इसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) उप-धारा (2) के तहत अनुशंसाऐं प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इसे विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों को विचार और प्रतिवेदन हेतु भेज सकती है, और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आदेश पारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे। वह उक्त आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश का पालन करेगा।

71. रिक्तियों को भरना: विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) के बीच मृत्यु इस्तीफे या अन्यथा के कारण सभी रिक्तियाँ, जितनी जल्दी हो सके, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाऐंगी, जिसके द्वारा नियुक्ति, मनोनयन, निर्वाचन किया गया है या उस सदस्य को सहयोजित किया गया है जिसका स्थान रिक्त हो गया है, और जो व्यक्ति नियुक्त, नामित, निर्वाचित या सहयोजित नहीं है, वह निर्धारित अवधि की असमाप्त अवधि के लिए ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी रिक्तियों को नियुक्ति, नामांकन या पूर्वोक्त तरीके से चुनाव द्वारा भरने तक, रिक्तियाँ, यदि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या निकाय ऐसा निर्णय लेता है, तो ऐसी रिक्ति को भरने योग्य किसी व्यक्ति के सहयोजन से भरा जा सकता है और इस प्रकार सहयोजित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकार या निकाय के सदस्य के रूप में पद धारण करेगा जब तक कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त, नामित या निर्वाचित नहीं हो जाता।

72. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी: विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में केवल एक रिक्ति या रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

73. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों की सेवा की शर्तें:

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक वेतनभोगी अधिकारी और विश्वविद्यालय विभाग में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक के अतिरिक्त वैसे अधिकारी एवं शिक्षक जो भारत में सार्वजनिक सेवाओं के सदस्य हैं और जिनकी सेवाऐं उप-धारा (2) के खंड (क) के तहत विश्वविद्यालय को दी गई हैं, एक लिखित अनुबंध पर नियुक्त होंगे, जिसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या शिक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को किसी भी विपरीत एकरारनामा के अभाव में, परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित किया जाएगा।

(2) भारत में सार्वजनिक सेवाओं का कोई भी सदस्य जिसे विश्वविद्यालय में किसी पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है, संबंधित सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति के अनुमोदन और उसकी शर्तों के अधीन, निम्न विकल्पों के अन्तर्गत रहेंगे:-

(क) विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएँ देने और किसी भी समय शेष रहते हुए, संबंधित सरकार के विकल्प पर सरकार की सेवा में वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी हो; या

(ख) विश्वविद्यालय की सेवा में प्रवेश करने पर सरकार की सेवा से इस्तीफा दे:

परन्तु यह कि जहाँ विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद, संतुष्ट हो जाता है कि एक अधिकारी या शिक्षक, सरकार का सेवक, जिसकी सेवाएँ विश्वविद्यालय को दी गई हैं, बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी की सजा का पात्र है, विश्वविद्यालय ऐसे अधिकारी या शिक्षक के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को लोक सेवा आयोग के निष्कर्षों सहित सभी संबंधित कागजात के साथ सरकार को अग्रेषित करेगा, और उसके बाद सरकार तुरंत उक्त अधिकारी या शिक्षक को सरकार की सेवा में वापस कर देगी और इस तरह से कार्रवाई करेगी जैसा वह उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु ठीक समझे।

(3) विश्वविद्यालय का शिक्षक या कोई अधिकारी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रहणाधिकार ले सकता है। उनके सभी सेवा लाभ ग्रहणाधिकार की अवधि के दौरान सुरक्षित रहेंगे।

(4) जब शिक्षकों की किसी भी सेवा शर्तों के संबंध में कोई परिनियम/ विनियम/नियम आदि नहीं बनाए जाते हैं तो उन सेवा शर्तों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

74. वरीयता सूची:

(1) जब कभी, परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को वरीयता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना या किसी प्राधिकार का सदस्य होना है, तो वरीयता ऐसे व्यक्ति को उसके ग्रेड में निरंतर सेवा की अवधि और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जायेगी, जो कार्यकारी परिषद् समय-समय पर निर्धारित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, जिन पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्ण और अद्यतन वरीयता सूची तैयार करे।

(3) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की किसी विशेष श्रेणी में समान अवधि की निरंतर सेवा है तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी और यदि जन्म तिथि भी समान है तो वरिष्ठता का निर्णय उनकी शैक्षणिक और अनुसंधान योग्यता के आधार पर किया जाएगा। किसी भी भ्रम या संदेह की स्थिति में, कुलसचिव अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और ऐसे किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर, मामले को कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

75. सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के कैरियर में उन्नयन के माध्यम से प्रोन्नति के लिए मानदंड / विनियम: विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के कैरियर में उन्नति के माध्यम से पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित मानदंडों / विनियमों द्वारा शासित होगी।

76. सेवानिवृत्ति:

(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधानों के अतिरिक्त-

(क) शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख वह तिथि होगी जिस दिन वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं;

(ख) अन्य सभी कर्मचारियों की तिथि जो उपरोक्त (क) में शामिल नहीं हैं, वह तिथि होगी जब वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं;

(ग) यदि इस राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जिसे उस विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना है, इस विश्वविद्यालय की सेवा में शामिल होता है, तो ऐसा कर्मचारी उस तिथि को सेवानिवृत्त होगा, जिस दिन वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

परन्तु यह कि एक शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख महीने के पहले दिन आती है, पिछले महीने की आखिरी तारीख के दोपहर से सेवा से सेवानिवृत्त हो जाऐंगे और यदि सेवानिवृत्ति की तारीख महीने की किसी अन्य तारीख को आती है, वह उस महीने की अंतिम तिथि के दोपहर में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय 65 और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, जैसा भी मामला हो, सेवा की अवधि का विस्तार नहीं करेगा या किसी शिक्षण या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी को पुनः नियुक्त नहीं करेगा।

(2) विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी शिक्षण या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी से सेवानिवृति मांग सकता है, जिसने अपनी पहली नियुक्ति की तिथि से विश्वविद्यालय की सेवा से निवृत होने के लिए 23 वर्ष की अर्हक सेवा या 27 वर्ष की कुल सेवा पूरी कर ली है, यदि यह मानता है कि उसका आचरण या दक्षता ऐसी है जो उसे सेवा में बने रहने को उचित नहीं ठहराती है।

(3) (i) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी, संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को लिखित में कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के बाद, उस तिथि से सेवानिवृत्त हो सकता है, जिस दिन ऐसे शिक्षण या गैर-शिक्षण -शिक्षण कर्मचारी ने 32 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है या 52 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, या उसके बाद ऐसी तिथि से जो नोटिस में निर्दिष्ट की जा सकती है:

परन्तु यह कि निलंबन के आदेश के तहत विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी कार्यकारी परिषद् के विशिष्ट अनुमोदन के बिना सेवानिवृत्त नहीं होगा।

(ii) विश्वविद्यालय, जनहित में, किसी भी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के बाद या इस तरह के नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि का भुगतान कर सेवानिवृत्ति की मांग ऐसी तिथि से कर सकता है जब वह कर्मचारी 32 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है या 52 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या उसके बाद ऐसी तारीख से, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जा सकती है।

77. आचार संहिता:

(1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की आचार संहिता परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) यदि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी चुनाव द्वारा या किसी अन्य संस्था के किसी पद या सदस्यता में शामिल होता है, जिसके कारण विश्वविद्यालय का काम प्रभावित होता है, तो ऐसे कर्मचारी को विश्वविद्यालय से एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व अनुमति और असाधारण अवकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(3) विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी कुलपति की पूर्व अनुमति के बिना अपने कार्यालय के अलावा किसी भी कारोबार, व्यवसाय या किसी अन्य काम में खुद को संलग्न नहीं करेगा और बिना वेतन के अवकाश पर जाने की स्थिति में वह विश्वविद्यालय निधि से कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, लेकिन किसी अन्य संस्थान में अपने कर्तव्य की प्रकृति को देखते हुए उसे अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित करने की अनुमति दी या नहीं दी जा सकती है। ऐसे असाधारण अवकाश परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे:

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो उसे उसकी सदस्यता की सम्पूर्ण अवधि बिना वेतन के विशेष अवकाश पर माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी की सेवा शर्त को विधिवत संरक्षित किया जाएगा ताकि वह वेतन, पदोन्नति, वरिष्ठता में वृद्धि अर्जित करना जारी रख सके और सदस्यता की अवधि पूरी होने पर विश्वविद्यालय में अपने कर्तव्यों को पुनः प्रारंभ कर सके:

परंतु यह भी कि विश्वविद्यालय निकाय के ऐसे कर्मचारी की सदस्यता उस तारीख से समाप्त मानी जाएगी, जिस तारीख से वह केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य बन गया है।

78. **नई पेंशन योजना, उपादान और बीमा:** विश्वविद्यालय, ऐसी रीतियों और शर्तों के अधीन, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अपने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, उपादान और बीमा का गठन करेगा (उन लोगों को छोड़कर जो भारत के लोक सेवा के सदस्य हैं और जिनकी सेवाऐं विश्वविद्यालय को उधार दी गई हैं)।

79. **अस्थायी प्रावधान:** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों के प्रावधान के अधीन या अन्यथा, विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी कार्य का निवर्हन प्रावधान को पूरा करने के उद्देश्य से करेंगे या ऐसे किसी भी कर्तव्य का पालन करेंगे**,** जो इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकार द्वारा निवर्हन या प्रयोग किए जाने हैं**,** जिस समय विश्वविद्यालय के अधिकारी या प्राधिकार अस्तित्व में नहीं है**,** जिनके द्वारा ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का पालन किया जाना है।

80. **कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति के गठन के उद्देश्य से निर्वाचन**: राज्य सरकार, कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति के गठन के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्राधिकारों के सदस्य पदावधि एवं कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् की तिथि से अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करें, जो उक्त तिथि से प्रारंभ माना जाएगा।

81. **प्राधिकारों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद:** यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विधिवत रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

82. **प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी:** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई भी कार्यवाही किसी रिक्ति या सदस्यों के बीच रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

83. **विश्वविद्यालय के अभिलेखों के प्रमाण का तरीका:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी प्राधिकार या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की एक प्रति, विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय के कब्जे में कोई अन्य दस्तावेज, या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाए गए किसी भी पंजी में कोई प्रविष्टि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित है, तो ऐसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा। संकल्प या दस्तावेज या पंजी

में प्रविष्टि का अस्तित्व और उन मामलों और लेनदेन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जहां उनके मूल, यदि प्रस्तुत किए जाते, तो साक्ष्य में स्वीकार्य होते।

84. नियम बनाने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति होगी:-

(क) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें;

(ख) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए आचार एवं अनुशासन संहिता;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की पद्धति और प्रक्रिया;

(घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि को बनाए रखने की प्रक्रिया सहित विश्वविद्यालय की निधि और लेखा को बनाए रखने की पद्धति और प्रक्रिया; तथा

(ङ) ऐसे अन्य विषय जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम, जैसे ही वह बनाए जाते हैं, सत्र के दौरान विधानसभा में रखे जाऐंगे।

85. निर्देश देने की शक्ति: राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत किसी भी मामले में विश्वविद्यालय को निर्देश देने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय इसका पालन करने के लिए बाध्य होगा।

86. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के प्रावधानों को, अधिनियम के अधीनस्थ विश्वविद्यालय में लागू करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच किसी भी विवाद के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय, हर मामले में अंतिम होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-13/2021-37/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-**20/09/2022** को **पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

PANDIT RAGHUNATH MURMU TRIBAL UNIVERSITY ACT, 2022
(**Jharkhand Act, 12, 2022**)

PREAMBLE

WHEREAS to establish and incorporate an University at Jamshedpur in East Singhbhum District of the State of Jharkhand to facilitate and promote avenues of higher education and research facilities for the tribal population in India and Jharkhand and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 73rd year of the Republic of India as follows: -

Preliminary

1. Short title, extent and commencement:

(1) This Act may be called the Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette of the State of Jharkhand.

2. Definitions: In this Act, and in all Statutes made hereunder, unless the context otherwise requires,

(a) "Academic Board" in relation to a Regional Centre; means the academic body charged with the academic matters of such Center, as the case may be, and recognised as such by the University;

(b) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(c) "Academic staff" means such categories of staff as are designated as academic staff by the University;

(d) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;

(e) "Bi-monthly Meeting" means one of the meetings of the Executive Council to be held once every two months under sub-section (11) of section 27 and declared by the statutes to be the bi-monthly meeting of the Executive Council;

(f) "Campus" means the unit established or constituted for making arrangements for instruction, or research, or both, and includes off-campuses;

(g) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor" mean, respectively, the Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice Chancellor of the University;

(h) "Dean" means Head of a Faculty of the University;

(i) "Department" means a University Department;

(j) "Director" means Head of a Regional Centre;

(k) "Employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(l) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(m) "Faculty" means a Faculty of the University;

(n) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(o) "Hall" means a hostel or unit of residence or of corporate life for the students of the University, or of a Centre, maintained or recognised by the University;

(p) "Management Board" in relation to a Regional Centre means the board charged with the management of the affairs of such Center and recognised as such by the University;

(q) "Recognised teachers" means such persons as may be recognised by the University for the purpose of imparting instructions in the University or in its regional centers admitted to the privileges of the University;

(r) "Regional Centers" means off-campuses constituted by the University and functioning as part of the University, established in the State of Jharkhand, as prescribed in the Statutes;

(s) "Regulations", means the Regulations made by any authority of the University under this Act for the time being in force;

(t) "Scheduled Population" means and includes the Scheduled Tribes as well as Scheduled Castes, as defined in the Constitution of India;

(u) "Statutes" and "Ordinances" mean, respectively, the Statutes and the Ordinances of the University, for the time being in force;

(v) "Teachers of the University" means Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the University or any Regional Centre maintained by the University and are designated, as teachers by the University;

(w) "University" means the Pandit Raghunath Murmu Tribal University as incorporated under this Act;

(x) "University Selection Committee" means a committee, which will have the power to make appointments to post within the sanctioned grades and scales of pay and within the sanctioned strength of the staff and other servants of the University, not being teachers and officers of the University.

3. Establishment of University:

(1) There shall be established, in the State of Jharkhand, a University by the name of "Pandit Raghunath Murmu Tribal University".

(2) The headquarter of the University shall be at Jamshedpur in East Singhbhum District of Jharkhand.

(3) The University shall have such number of Regional Centres and Campuses in the State of Jharkhand, as the University may deem fit.

(4) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor, the Executive Council and the Academic Council, and all such persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of "Pandit Raghunath Murmu Tribal University".

(5) The University shall have perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by the said name.

4. Objects of University: Objects of the University shall be as under:-

to provide avenues of higher education and research facilities on Tribal Studies, primarily for the tribal population;

to disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities on Tribal focused Social Sciences, Art, Culture, Languages and Linguistics, Science, Forest based Economic Activities, etc;

to collaborate with state, national and international universities or organizations, especially for undertaking cultural studies and research on tribal populations;

to formulate tribal centric development models, publish reports and monographs; and to organise conferences; seminars on issues relating to tribes; and to provide inputs to policy matters in different spheres;

to take appropriate measures for promoting innovations in teaching learning processes in interdisciplinary studies and research, and to pay special attention to the improvement of the social, educational and economic conditions and welfare of the Scheduled Tribes within the State of Jharkhand and Union of India - for intellectual, academic and cultural development;

Initially, the University shall establish the following departments in the faculties based on CBCS (Choice Based Credit System) as may be approved by the UGC/MoE from time to time. Later on, according to the need, the University shall introduce new faculties/courses or may omit the old one. The assignment of various Departments to various Faculties shall be as under:-

Faculty of Social Science:

(i) Department of Economics
(ii) Department of History & Archaeology
(iii) Department of Geography and Regional Development
(iv) Department of Sociology
(v) Department of Anthropology and Customary Law
(vi) Department of Migration and Labor Studies
(vii) Department of Political Science
(viii) Department of Peace and Conflict Studies

Faculty of Arts and Humanities:

(i) Department of Hindi
(ii) Department of Santhali
(iii) Department of Ho
(iv) Department of Nagpuri
(v) Department of Kudukh

(vi) Department of Mundari

(vii) Department of Kurmali

(viii) Department of Khariya

(ix) Department of PanchParganiya

(x) Department ot Khortha

(xi) Department of Philosophy

(xii) Department of English and other Foreign Languages

Faculty of Science:

(i) Department of Medicinal, Aromatic and Agricultural Plants and Traditional Medicine

(ii) Department of Rural and Forest Management and Environmental Science & Law

Faculty of Management:

(i) Department of Tourism, Hospitality and Hotel Management

Faculty of Computer & Information Science:

(i) Department of Computer Science and Information Technology

Faculty of Tribal Studies:

(i) Department of Tribal Art, Folk Literature and Culture

(ii) Department of Folk Studies, History and Museology

(iii) Department of Tribal and Comparative Linguistics

Faculty of Fine Arts

Faculty of Performing Arts

Faculty of Physical Education

Faculty of Law

5. Powers of The University: The University shall have the following powers, namely:-

(1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(2) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees (Undergraduate and Postgraduate) or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on, persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(3) to organize and to undertake extra-mural studies, training and extension services;

(4) to confer honorary degrees, diplomas and certificates or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

(5) to provide facilities through the distance education system to such persons as it may determine;

(6) to institute Directorships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching or academic positions, required by the University and to appoint persons to such as Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor and other teaching or academic positions;

(7) to appoint persons of specific knowledge of tribal culture, traditional knowledge and research, who can contribute significantly in the development of the University, working in any other University or educational institutions, as teachers of the University for a maximum period of one year at a time, extendable up to three years, on deputation with the approval of executive council;

(8) to co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or Institution of higher learning in such manner and for such purposes as the University may determine;

(9) to establish, with the prior approval of the State Government, such Regional Centres, Campuses, Special Centers, Specialized Laboratories or other units for research and instruction as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(10) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(11) to establish and maintain Regional Centres, Departments and Halls;

(12) to make provision for research and advisory services and for that purpose, to enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organizations, as the University may deem necessary;

(13) to organize and conduct Refresher Courses, Workshops, Seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staffs;

(14) to make special arrangements in respect of the residence and teaching of women students as the University may deem necessary;

(15) to appoint on contract or otherwise Visiting Professors (retired and working both), Emeritus Professors, Consultants who may contribute to the advancement of the objects of the University, with the approval of executive council;

(16) to determine standards of admission to the University which may include examination, evaluation or any other method of testing;

(17) to demand and receive payment of fees and other charges;

(18) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(19) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;

(20) to regulate and enforce discipline among the students and the employees and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the University to be necessary;

(21) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;

(22) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of with the previous approval of the State Government, any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purposes of the University;

(23) to make collaboration (funding or without funding) with industries in areas of research, workshop/seminar/conference /training and employment etc.;

(24) to borrow, with the prior approval of the State Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;

(25) to establish such number of Regional Centers in various areas of the State of Jharkhand as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(26) to make special provisions for the promotion of educational, economic interests and welfare of the members belonging to the Scheduled Tribes by providing adequate percentage of seats in the matters of admission, of posts in the matter of employment and other benefits;

(27) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects.

6. **Jurisdiction**: The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

7. **University open to all classes, castes and creed:** The University shall be open to all persons, regardless of gender, race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle them to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or be admitted as a student in the University or to graduate therefrom or to enjoy or exercise any privilege thereof:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, persons with disabilities or of persons belonging to the weaker sections of the society including economically weaker sections, and, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

8. **Residence of students:** Hall or Hostel shall be provided according to the availability of the seats.

9. **Officers of the University:** The following shall be the officers of the University:-

(1) The Chancellor;

(2) The Vice-Chancellor;

(3) The Pro-Vice Chancellor;

(4) The Financial Adviser;

(5) The Dean of the Students Welfare;

(6) The Proctor;

(7) The Director;

(8) The Deans of Faculties;

(9) The Registrar;

(10) The Finance Officer;

(11) The Controller of Examinations;

(12) The Librarian; and

(13) Any such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

10. **The Chancellor:**

(1) The Governor of Jharkhand shall be the Chancellor and shall, by virtue of his office, be the head of the University and shall act as per the recommendation of the State Government and when present, preside at any convocation of the University.

(2) For nominating any person in any Council/ Body/ Authority/ Committee or Board of the University, the mode of consultation by the Chancellor with the State Government shall be as follows: -

(a) The State Government shall suggest at least three names for each nomination amongst which the Chancellor shall select one as his nominee in any Council/ Body/ Authority/ Committee or Board of the University, and shall communicate the same to the State Government in return.

(b) If the Chancellor disagrees with the names proposed by the State Government, he shall record reasons in writing and revert to the State Government.

(c) The State Government shall communicate its views in writing as it considers necessary and in such case, the Chancellor shall finalise his nominee.

(d) The selection of Vice-Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Financial Adviser and Registrar and nomination of any person in any Council/ Body/ Authority/ Committee or Board of the University, shall be through the panel of a Search Committee constituted by the State Government. The Search Committee through public notification or nomination or a talent search process or a combination thereof, identify a panel of 3 names for selection of the candidate. The members of the Search Committee shall not be connected with the University concerned or its colleges. The following shall be the constitution of the Search Committee:-

i. An Additional Chief Secretary rank officer of any department of Government of Jharkhand would be the Chairperson of the Committee.

ii. Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Jharkhand – Member.

iii. Vice-Chancellor of any university to be nominated by Governor of Jharkhand– Member.

(e) While preparing the panel, the existing norms of UGC shall be followed in addition to the desirable qualifications such as adequate experience in administration, either at the government or at the University level.

(f) Notwithstanding anything contained in any Statutes, Ordinances and Regulations of this University, the Chairman of any Body or Council or Authority or Committee of this University shall be decided by the University, only after prior approval from the State Government unless the same has been specifically provided in the Act of the University.

11. The Vice-Chancellor:

(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the recommendation of the State Government maintaining the order of preference of names placed before him or her by the State Government. The procedure mentioned in sub-section (2) of Section 10 of the Act shall be adopted for the appointment of the Vice-Chancellor.

(2) No person shall be deemed to be qualified to hold the office of the Vice-Chancellor unless he is a reputed scholar and has immense academic interest.

Further, a person of the highest level of competence, integrity, moral and institutional commitment is to be appointed as Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a

University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

Further, it would be desirable that the person has administrative experience either at the Government or at the University level.

(3) To meet out any of the situation of not joining by the person so appointed at the first instance, or in case of post of Vice-Chancellor falling vacant on account of death, resignation or removal of the Vice-Chancellor under the provision of this Act, the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor as per the procedure mentioned in sub-section (1) of this section.

(4) (i) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes charge of the office.

(ii) Provided that the age for applying to the post of Vice-Chancellor shall not exceed 65 years. Ongoing of the said term, he may be reappointed by the Chancellor as per the recommendation of the State Government as per sub-section (1) and he shall hold office at the pleasure of the State Government for a term not exceeding three years, or up-to-the age of 70 years, whichever is earlier.

(5) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, Chairman of the Executive Council and the Academic Council, and shall be entitled to be present and speak at any meeting of any authority or body of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University:

Provided that the Vice-Chancellor shall not vote in the first instance, but shall exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(6) The Vice-Chancellor may hold any meeting of the Council/ Body/ Authority/ Committee or Board, under the information to the State Government.

(7) The Vice-Chancellor shall on the recommendation of University Selection Committee and with the approval of Executive Council and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinance, made thereunder, will have power to make appointment to posts within the sanctioned grades and scales of pay and within the sanctioned strength of the staff and other servants of the University, not being teachers and officers of the University and have control and have full disciplinary powers over such staff and servants. The appointment process for these posts shall be completely transparent. The advertisement for the appointment of these posts shall be advertised in leading newspapers. The current reservation policy of the State Government shall strictly be followed as per roster in the appointment of these posts. All these appointments shall be prominently displayed on the home page of the website of the University.

(8) The University Selection Committee shall have the following composition:

(a) Vice Chancellor – Chairman

(b) Pro-Vice Chancellor – Member

(c) Representative (Not below the rank of Joint Secretary) of Department of Higher and Technical Education – Member

(d) Representative (Not below the rank of Joint Secretary) of Department of Finance – Member

(e) Representative (Not below the rank of Joint Secretary) of Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbahasha– Member

(9) Representative of The Vice-Chancellor shall have the right to visit and inspect the departments and buildings, laboratories, workshops and equipments thereof and any other institution associated with the University.

(10) Save as otherwise provided in the Ordinance or the Statutes, the Vice-Chancellor on the recommendation of University Selection Committee shall appoint teachers and officers other than the Pro-Vice Chancellor, Financial Adviser and Registrar, with prior approval of the State Government and shall define their duties.

(11) If at any time except when the Executive Council or the Academic Council is in session, the Vice-Chancellor is satisfied that an emergency has arisen requiring him to take immediate action involving the exercise of any power vested in the Executive Council or the Academic Council by or under this Act, he shall take such action as he deems fit, and shall report the action taken by him to the State Government which may either confirm the action so taken or disapprove it.

(12) (i) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Vice-Chancellor to see whether the proceedings of the University are carried out in accordance with the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules or not, and the Vice-Chancellor shall report to the State Government every such proceeding which is not in conformity with such provisions.

(ii) Till such time as the orders of the State Government are not received on the report of the Vice-Chancellor that the proceeding of the University is not in accordance with this Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules, the Vice-Chancellor shall have the powers to stay the proceeding reported against.

(13) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(14) The Vice-Chancellor shall have the power to take disciplinary action against all employees of the University including officers (other than the Pro-Vice Chancellor, Financial adviser and Registrar) and teachers of the University.

(15) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him on such matter:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the State Government, whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this subsection shall have the right to represent against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(16) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances or that any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

(17) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

12. Mode of communication by the Chancellor and Vice-Chancellor with the State Government:

(1) Notwithstanding anything contained in the Act or in Statutes, Ordinances, or Regulations made thereunder, in every case, all communications proposed to be made to the Chancellor by the Vice-Chancellor, a copy of same shall be addressed to the Secretary of the Department of Higher and Technical Education, Govt. of Jharkhand.

(2) Notwithstanding anything contained in the Act or in Statutes, Ordinances, or Regulations made thereunder, the meeting of the Executive Council/ Body/ Authority/ Board of the University, as the case may be, shall be convened by the Vice-Chancellor with an intimation to the Department of Higher and Technical Education, and Department of Higher and Technical Education shall intimate the same to the Chancellor for the record.

(3) Notwithstanding anything contained in the Act or in Statutes, Ordinances, or Regulations made thereunder, all notice regarding convocation shall be brought to the notice of the Department of Higher and Technical Education.

(4) Notwithstanding anything contained in the Act or in Statutes, Ordinances, or Regulations made thereunder, all proposals for conferring any Honorary Degree to any person shall be placed before the Department of Higher and Technical Education for concurrence, the Department of Higher and Technical Education shall send the list of awardees to the Chancellor for his confirmation.

(5) Every communication proposed to be made by the Chancellor to this University, a copy of same shall be provided to the Department of Higher and Technical Education.

13. Removal of the Vice-Chancellor:

(1) If at any time and after such enquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor: -

(a) has failed to discharge any duty imposed upon him, by or under this Act, the Statutes or the Ordinance, or

(b) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or

(c) has been incapable of managing the affairs of the University,

The Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, require the Vice-Chancellor by an order in writing stating the reasons therefore, to resign his post from the date, as may be specified in the order, but only after the recommendation of the State Government.

(2) No order under sub-section (1) shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice-Chancellor.

(3) On and from the date specified in sub-section (1), it shall be deemed that the Vice-Chancellor has resigned his post and the office of the Vice-Chancellor shall be deemed to be vacant.

14. Pro-Vice Chancellor:

(1) The Pro-Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the recommendations of the State Government in the same manner as prescribed for the appointment of Vice-Chancellor. The procedure mentioned in sub-section (2) of Section 10 of the Act shall be adopted for the appointment of the Pro-Vice Chancellor. The Pro-Vice Chancellor shall be appointed on such

terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by this Act.

(2) The Pro-Vice Chancellor shall be a whole time Officer of the University. He shall hold office, on such conditions as may be determined as per sub-section (1), for a period not exceeding three years.

Provided that the age for applying to the post of Pro-Vice Chancellor shall not exceed 65 years. Ongoing of the said term, he may be reappointed by the Chancellor as per sub-section (1) and he shall hold office at the pleasure of the State Government for a term not exceeding three years, or up-to-the age of 70 years, whichever is earlier.

(3) The Pro-Vice Chancellor shall be responsible for admission, conduct of the examinations and the publication of the result of the examination conducted by the University and shall be responsible for student welfare. Subject to the provisions of this Act, the Pro-Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or as may be conferred or imposed on him, from time to time, by the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice Chancellor can be removed in the same manner as prescribed for the removal of the Vice-Chancellor in Section 13.

15. Arrangement of work during temporary absence of the Vice-Chancellor: During the temporary absence of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any other cause, it shall be lawful for the Pro-Vice Chancellor to exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor, and the matter shall be immediately reported to the Chancellor by the Registrar and if, in the opinion of the Chancellor, the temporary absence of the Vice-Chancellor is for a long period, the Chancellor may make necessary arrangement as per the recommendation of the State Government.

16. Financial Adviser:

(1) The Financial Adviser shall be a whole-time officer of the University. He shall be appointed by the Chancellor as per the recommendation of the State Government, either on deputation or by re-employment from amongst the working or retired officers of the Indian Audit and Accounts Service or from any other Accounts Service of Government of India, of the level of Deputy Accountant General or above. The procedure mentioned in sub-section (2) of Section 10 of the Act shall be adopted for the appointment of the Financial Adviser. The Financial Adviser shall be appointed for a term not exceeding five years, or up to the age of 70 years, whichever is earlier.

(2) In all proposals having financial implication, the advice of the Financial Adviser shall be mandatory.

(3) The Financial Adviser shall be an *ex-Officio* member of the Finance Committee.

(4) The Financial Adviser shall work under the Administrative control of the Vice-Chancellor and the Finance Officer shall work directly under the control of the Financial Adviser.

(5) It shall be the responsibility of the Registrar to obtain the advice of the Financial Adviser on all matters having financial implication. Moreover, it shall be the responsibility of the Registrar to mention specifically at the time of placing such a proposal before the Executive Council that the concurrence of the Financial Adviser has been obtained or that he has not concurred with the proposal.

(6) If in any financial proposal the Vice-Chancellor or the Executive Council takes a decision contrary to the advice of the Financial Adviser, such a decision shall not be implemented and shall be forwarded by the Vice-Chancellor to the State Government, whose decision in the matter shall be final and binding.

(7) Preparation of the University Budget, maintenance of accounts, audit of accounts from time to time, compliance of the audit objections, timely receipt of grants from the State Government in accordance with the approved budget and also of grants from the University Grant Commission, arrangements for keeping the same properly and timely submission of utilization certificates of the University grants in the prescribed manner shall be the responsibility of the Financial Adviser.

(8) It shall also be the responsibility of the Financial Adviser to see that all financial matters of the University are submitted in accordance with the Act, the Ordinance, the Statutes, the University Ordinance, Regulations and Rules framed thereunder.

17. The Dean of the Students Welfare:

(1) The Dean of Students Welfare shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of two years from amongst the University Professors or Associate Professors:

Provided that if the Vice-Chancellor thinks it necessary for administrative reasons, he may revert the Dean to his original post and appoint another person as Dean for the unexpired period.

(2) The duties, powers and functions of the Dean of Students Welfare shall be prescribed by the Statutes.

(3) The teacher appointed as Dean of Students Welfare under sub-section (1) shall hold lien on his original post and shall be eligible for all the benefits which would have otherwise accrued to him, in case he would not have been appointed as Dean of Students Welfare.

18. Proctor:

(1) The Vice-Chancellor shall appoint the Proctor from amongst such teachers of the University as are not below the rank of Associate Professor.

(2) His tenure shall be of two years and on the expiry of his tenure, he may again be appointed:

Provided that if at any time the Vice-Chancellor thinks it proper on administrative grounds, he may send the Proctor back to his original post and appoint another person as Proctor for the unexpired period of his term.

(3) In case of vacancy of the Proctor caused due to resignation or illness or any other reason, his duties shall be discharged by a person appointed for the purpose by the Vice-Chancellor.

(4) Duties of the Proctor shall be determined by the Statutes.

19. The Deans of Faculties:

(1) Every Dean of a Faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the Faculty for a period of three years and he shall be eligible for reappointment:

Provided that a Dean on attaining the age of 65 years shall cease to hold office as such: Provided further that if at any time there is no Professor in a Faculty, the Vice-Chancellor, or a Dean authorised by the Vice-Chancellor in this behalf, shall exercise the powers of the Dean of a Faculty.

(2) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such a person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(3) The Dean shall be the Head of the Faculty and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the Faculty and shall have such other functions as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Committees of the Faculty, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

20. The Directors of Regional Centre:

(1) Every Director of Regional Centre shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties, as has been prescribed by the Statutes/ordinances.

(2) The Director shall be the Academic and Administrative Head of the Regional Centre.

(3) The Director of the Regional Centre shall be appointed from amongst the professors of the university on rotation basis, on the recommendation of University selection committee.

(4) The services of the Director shall be governed by the Act, Statutes, Ordinances and regulations of the University.

(5) The services of the Director may be utilized anywhere as per administrative exigencies of the University.

(6) He shall attend the meetings of all the statutory bodies as prescribed by the Statutes.

(7) He shall execute the academic calendar of the University in the Regional Centre.

(8) The Director shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he should pay prescribed license fee. In case of non-availability of such accommodation, he will be entitled to obtain HRA as per State Government Rules. Mobile phone and free telephone service shall be provided.

(9) The Director shall be entitled to such leaves, allowances, provident fund and other financial benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff. He shall be entitled to the facility of staff car between the office and his residence.

(10) There shall be a Management Board for the development of Regional Centre which shall be constituted as per the approval of the Executive Council.

(11) The Director shall be the chairman of the management board:
Provided that the Vice-Chancellor shall preside, if present.

(12) The Director shall have the power to recommend disciplinary action/suspension pending inquiry to impose the penalty against the employees of the Regional Centre to the management board of the Regional Centre.

21. The Registrar:

(1) The Registrar shall be a whole time officer and shall be appointed in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by this Act and statutes made thereunder.

Notwithstanding anything contained in this section, the first Registrar shall be nominated by the Chancellor as per the recommendation of the State Government, as soon as practicable after the commencement of the Act for a maximum period of one year or till regular appointment and on such conditions as the State Government thinks fit.

(2) The selection of Registrar shall be carried out as mentioned in sub-section (2) of Section 10 of the Act.

(3) The Registrar will be appointed for the period of 5 years or till attaining the age of 62 years, whichever is earlier.

(4) Registrar-

(a) shall act as Secretary to the Executive Council and the Academic Council;

(b) shall manage the property and the investments of the University;

(c) shall sign all contracts made on behalf of the University;

(d) shall exercise and perform such other powers and duties as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances, or the Regulations and the Rules as may from time to time, be framed, conferred and imposed on him by the Executive Council and the Academic Council;

(e) shall generally render such assistance to the Vice-Chancellor as may be desired by him in the performance of his duties.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes, the Chancellor on the recommendation of the State Government appoint an Officer of the Central Government or the State Government or of any autonomous body established by an Ordinance of Parliament or the State Legislature, to be the Registrar as per sub-section (1) and (2).

22. The Finance Officer:

(1) The Finance Officer shall be a whole time Officer of the University and shall act as Secretary to the Finance Committee, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes, or as may from time to time, be conferred or imposed on him by the Executive Council, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor or the Registrar.

(2) The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose.

(3) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for reappointment.

(4) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(5) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(6) The Finance Officer shall—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances or the Regulations.

(7) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall—

(a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;

(b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and nonrecurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;

(d) keep a constant watch on the state of the cash and balances and on the state of investment;

(e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking are conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Centers, Specialized Laboratories, Colleges and Centres maintained by the University;

(g) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(h) call for from any office, Center, Laboratory, College maintained by the University any information that he may consider necessary on the performance of his duties.

(8) Any receipt given by the Finance Officer or the person or person duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient to discharge for payment of such money.

23. The Controller of Examinations: The Controller of Examinations shall be a whole time Officer of the University and shall act as Secretary to the Examination Board and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes or as may, from time to time, be conferred or imposed on him, by the Vice-Chancellor or the Pro-Vice Chancellor.

24. The Librarian: The Librarian shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

25. Other officers: The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

26. Authorities of University: The following shall be the authorities of the University:-

(1) the Executive Council;

(2) the Academic Council;

(3) the Board of Studies;

(4) the Finance Committee; and

(5) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

27. The Executive Council:

The Executive Council shall be the Chief Executive body of the University and shall consist of the following persons, namely:-

Ex-officio Members

(1) The Vice-Chancellor

(2) The Pro-Vice Chancellor

(3) The Director, Higher Education, Jharkhand or his representative

(4) Dean, Students' Welfare, and Proctor

(5) Registrar- Member Secretary

Other Members

(6) Two Vice-Chancellors to be nominated by the State Government for a period of one year in the following order of rotation: -

(a) Sido Kanhu Murmu University, Dumka

(b) Ranchi University, Ranchi

(c) Kolhan University, Chaibasa

(d) Binod Bihari Mahto Koylanchal University, Dhanbad

(e) Nilamber Pitamber University, Medninagar, Palamu

(f) Jharkhand Raksha Shakti University, Ranchi

(g) Dr. Shyama Prasad Mukerjii University, Ranchi

(h) Vinoba Bhave University, Hazaribagh

(i) Jharkhand University of Technology, Ranchi

(j) Jamshedpur Women University, Jamshedpur

(k) Baba BaidyaNath Dham Sanskrit University, Deoghar

(7) Two Heads of University Departments, as may be prescribed by the Statutes, by rotation for a period of one year from the date of nomination.

(8) Two from amongst the Professors and Associate Professors of the University, other than Heads of Departments and two such Assistant Professors who have teaching experience of at least ten years shall be nominated by the Chancellor as per the recommendation of the State Government.

(9) One educationist reputed for his scholarship and academic work, to be nominated by the Chancellor as per the recommendation of the State Government.

(10) Five educationists are to be nominated by the State Government one of whom shall be from Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Backward Classes and one from women having academic and social work for the maximum period of three years.

(11) In case none of the members from sub-sections (1) to (9) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled tribe, the Chancellor on recommendations of the State Government, may nominate a person belonging to Scheduled caste or Scheduled tribe, who is interested in the cause of education, to be member of the Executive Council for a period not exceeding three years, but if during the said period of three years a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe becomes a member under any of the sub-sections (1) to (9) the person nominated under this sub-section shall automatically cease to be a member of the Executive Council with immediate effect:

Provided that until appointments are made so as to fill up the seats specified in sub-sections (7) and (8) the Chancellor on recommendation of the State Government, shall nominate the teachers from other Universities in the State, who are not below the rank of Professors, to be the members of the Executive Council against those seats:

Provided that the Chancellor shall appoint the members of Executive Council after recommendation and decision of the State Government as per sub-section (2) in Section 10.

The Executive Council shall meet once every two months. However, the Vice-Chancellor may, wherever he think fit, convene a special meeting.

The Executive Council shall have perpetual succession and any of its acts or proceedings shall not be invalid merely because of any vacancy or vacancies in its memberships.

28. Powers and duties of the Executive Council: The Executive Council-

(1) shall hold, control and manage the property and funds (together with endowments, bequests and donations) of the University and other transfers of property made to Regional Centres for their benefit;

(2) shall regulate the form, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;

(3) shall, subject to the powers conferred by or under this Act on the Vice-Chancellor and Academic Council, determine and regulate all matters concerning the University in accordance with the Ordinance, the Statutes and the Regulations;

(4) shall manage funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(5) shall have power to accept transfers on behalf of the University of any movable or immovable property to and for the benefit of the University;

(6) shall make the Statutes and the Ordinances, and shall amend or repeal them;

(7) shall consider the Regulations, and amend or repeal the same;

(8) shall pass resolution after having considered the annual report, the annual account, the budget estimates and audit report on such accounts;

(9) shall institute and confer such degrees (undergraduate and postgraduate), titles, diplomas and other academic distinctions as may be prescribed by the Statutes; and

(10) shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed on it by the Ordinance or the Statutes.

29. Terms of office of the Members of the Executive Council: Save as otherwise provided under this Act, the terms of office of members, other than *ex-officio* members of the Executive Council, shall be of three years from the date of their nomination and shall include any further period which may elapse between the expiration of the said three years and the date of the next succeeding nomination not being nomination to fill up any casual vacancy:

Provided that a member nominated as a representative of anybody shall be deemed to have vacated office with effect from the date on which he ceases to be a member of the body which nominated him.

30. The Academic Council:

(1) The Academic Council shall consist of:-

Ex-officio Members

(a) The Vice-Chancellor

(b) The Pro-Vice Chancellor

(c) The Deans of Faculties

(d) The Director, Regional Centre

(e) Dean, Students' Welfare, and Proctor

(f) All Heads of Departments

(g) The President of the University Students' Union

(h) Registrar- Member Secretary

Other Members

(i) Not more than two experts from outside the University service, to be co-opted by the Academic Council for specific purposes according to need:

Provided that until appointments are made so as to fill up the seats specified in above sub-sections as it is necessary, the Chancellor on recommendation of the State Government shall nominate such number of teachers from other Universities in the State, not below the rank of Professor, to be members of the Academic Council.

The Academic Council shall meet once in a month. However, the Vice-Chancellor may, wherever he thinks fit, shall convene a special meeting.

(2) The terms of office of members, other than the ex-officio members, shall be for a period of three years with effect from the date of their respective election or nomination and shall include any further period which may elapse between the expiration of the said period of three years and the date of the next succeeding election or nomination, as the case may be, not being an election or nomination to fill up any casual vacancy:

Provided that any member elected or nominated shall be deemed to vacate office with effect from the date on which he ceases to be a member of the body which elected or nominated him.

31. Powers and duties of the Academic Council: The Academic Council shall be the chief academic and planning body of the University and shall-

(1) subject to the powers conferred by or under this Act on the Vice-Chancellor and on the Executive Council, determine and regulate all academic and planning matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes;

(2) have the powers of superintendence and control over and be responsible for the maintenance of standards of instruction and education, including through correspondence course, online mode and contact programme and the promotion of research work in the University;

(3) prepare and finalise plan and programme of development and improvements of the University, its Courses of Regional, examination and evaluation including new methods of teaching and for consultation and exchange of information with similar organisations, other Universities and research institutes;

(4) exercise supervision and control over the conduct of teaching in the departments and Regional Centres in such manner as may be prescribed by the Statutes;

(5) have powers of general control over the Examination Board, and may review the results of University Examinations; and

(6) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

32. The Faculties, Deans of Faculties and Heads of Department:

(1) The University may include the Faculties of Humanities, Social Sciences, Science, Commerce, Education and such other Faculties as may be prescribed by the Statutes:

Provided that no Faculty/Post shall be created by the Academic/Executive Council in respect of any branch of learning without prior approval of the State Government:

Provided that no Faculty shall be created by the Academic Council in respect of any branch of learning for the instruction of which no provision exists in any department of the University:

Provided further that the degrees (undergraduate and postgraduate) to be awarded in the Faculties of Humanities and Social Science shall be in Arts.

(2) Each Faculty shall, subject to the control of the Academic Council, have charge of the courses of studies, conduct courses and research work in such subjects as may be assigned to such Faculty by the Regulation.

(3) The total number of members of each Faculty shall not exceed such as may, from time to time, be prescribed by the Statutes.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3) each Faculty shall consist of-

(a) such number of teachers as may be assigned to each Faculty by the Academic Council keeping in view the qualifications of such teacher members;

(b) such number of members to be co-opted as experts by the Academic Council from amongst persons who are not members of the Academic Council, as may be prescribed by the Statutes:
Provided that no person shall be a member of more than two Faculties.

i. Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. The Heads of Department shall be appointed by the Vice-Chancellor, by rotation, in the manner prescribed by the Statutes, for a period of two years. Each Department shall consist of the following members, namely: —

a) Head of Department;

b) Teachers of the Department;

c) Persons conducting research in the Department;

d) Dean of the Faculty;

e) Honorary Professors, if any, attached to the Department; and

f) Such other persons as may be members of the Department in accordance with the provisions of the Statutes.

ii. Subject to the provisions of this Act each Faculty shall have the following powers: -

a) to constitute the Boards of courses of Study of the departments allotted to it; and

b) to exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(5) (i) The Dean of Faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor, by rotation, in the manner prescribed by the Statutes, for a period of two years in the Faculty concerned from amongst the Professors:

Provided that where in any faculty there is no teacher having the qualifications of a Professor then a teacher not below the rank of Associate Professor may be appointed as the Dean of Faculty.

(ii) The Dean of Faculty shall be responsible to the Vice-Chancellor for the conduct of teaching and research work in that faculty.

(6) Where it is proposed to appoint any teacher to be the Head of a department who is not the senior most Professor or Associate Professor of the Department, no such appointment shall be made without the prior approval of the Academic Council.

33. The Departmental Council:

(1) There shall be a Departmental Council for each University Department which shall consist of the following members: -

(a) the Head of the Department

(b) all teachers of the department

(c) two students - one nominated by the Vice-Chancellor and another by the Head of the Department for each academic year

(2) The Departmental Council shall, from time to time, review the activities of the department and suggest ways of its improvement.

This council shall meet at least thrice in a year on dates to be appointed by the Head of the Department. In between two meetings, there shall not be an interval of more than three months.

34. The Examination Board:

(1) Subject to the provisions of the Regulations, advice shall be given in respect of conduct of examinations by the Examination Board consisting of the Vice-Chancellor as Chairman and Deans of Faculties as members.

(2) The Examination Board shall render advice to the Vice-Chancellor on conduct of examinations and appointments of examiners, setting and moderating question papers, preparation, moderation and publication of examination results, submission of such examination results to the Academic Council, and generally regulating the methods of improvement in the procedure of correct evaluation of achievement of students and the Vice-Chancellor shall be competent to take the final decision:

Provided that the Vice-Chancellor shall appoint the question setters and examiners from the panel of names submitted by the Examination Board.

35. Holding of examinations:

(1) The examination of the University shall be held from such dates as may be prescribed in the Academic calendar approved by the Academic Council for each academic year.

(2) Results of examinations shall be published within sixty days of the completion of the concerned examination, which may be extended to a period beyond sixty days for reasons to be recorded in writing.

36. The Planning and Evaluation Committee:

(1) There shall be a Planning and Evaluation Committee for the purposes of preparing plan programme of development and improvements of the University and in its courses of study, examining and evaluating, from time to time, the progress achieved in such plans and programmes, testing and evolving new methods of teaching (including online mode) and for consultation and exchange of information with similar organisations, other Universities and research institutes for any of these purposes.

(2) The Committee shall consist of the following members:

(a) The Vice-Chancellor;

(b) The Pro-Vice Chancellor;

(c) three Deans of Faculties to be appointed in the manner as prescribed by the Statutes;

(d) two members of the Executive Council to be nominated by it;

(e) two members of the Academic Council to be nominated by it;

(f) three heads of Departments to be nominated by the Vice-Chancellor every year, by rotation; and

(g) two such members representing academic interests and professions, as may be co-opted by the Committee, either by rotation every year or according to subject or subjects, as may be required.

(3) The Registrar shall act as the Secretary to the Committee.

(4) The term of office of members, other than ex-officio members, shall be of three year's duration, except where otherwise provided.

37. The Research Council:

(1) There shall be a separate Post-Graduate Research Council in each faculty of the University for the registration and proper guidance of research work which shall work under the general control of the Academic Council.

(2) The Post-Graduate Research Council shall consist of the following persons:

(a) The Vice-Chancellor;

(b) The Pro-Vice Chancellor;

(c) The Dean of the concerned Faculty;

(d) All University Professors and those teachers having at least 8 years' experience as Associate Professor posted in the University Department; and

(e) Four teachers imparting Post-Graduate teaching of the concerned Faculty to be nominated by the Vice-Chancellor in each academic year.

(3) The Post-Graduate Research Council shall meet at least once every quarter.

38. The Board of Studies, Academic Board and Management Board:

The constitution, powers and functions of the Board of Studies, the Academic Board and the Management Board shall be prescribed by the Statutes:

Provided that the Board of Studies, the Academic Board and the Management Board shall have adequate number of members from amongst the Scheduled Tribes.

39. The Finance Committee:

(1) The Finance Committee shall consist of:-

(a) the Vice-Chancellor as Chairman;

(b) the Financial Adviser as member;

(c) an officer of the State Government not below the rank of a Special Secretary to be nominated by the State Government;

(d) the Finance Officer as Member Secretary; and

(e) four such other members as are not official members of the Executive Council, to be elected by and from amongst the members of the executive council of the University in the manner prescribed by the Statutes.

(2) The term of office of members other than the *ex-officio* members shall be for a period of three years with effect from the respective dates of their election and shall include any further period which may elapse between the expiration of the said three years and the date of the next succeeding election not being an election to fill up any casual vacancy.

(3) The Finance Committee shall-

(a) advise the University on any question affecting its finance;

(b) prepare the annual estimate of income and expenditure of the University including the estimates of the departments of the University and of the Regional Centres recognised by it;

(c) subject to Statutes, have power to scrutinise the estimates of the Regional Centres;

(d) subject to Statutes, have power to scrutinise every item of new expenditure not provided for in the Budget estimates of the University;

(e) be responsible for the strict observance of the Statutes relating to the maintenance of accounts of income and expenditure of the University; and

(f) discharge such other functions of financial nature as may from time to time, be prescribed by the Statutes or entrusted to it by the Executive Council.

40. Disqualification:

(1) A Person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities of the University,

(a) if he is of unsound mind; or

(b) if he is an undischarged insolvent; or

(c) if he has been convicted by a court of law

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), the question shall be referred to the State Government.

41. Other authorities of University:

The constitution, powers and functions of other authorities, as may be declared by the Statutes to, be the authorities of the University, shall be prescribed by the Statutes:

Provided that the other authorities of the University shall have adequate number of members from amongst the Scheduled Tribes.

42. Statutes:

Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) The institution of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;

(b) The designations and powers of the officers of the University;

(c) The constitution, powers, functions and duties of the authorities of the University;

(d) The institution of departments and their maintenance and management;

(e) The classification of teachers of the University, the manner of their appointment and their recognition;

(f) The constitution of New Pension Scheme and insurance for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;

(g) The number, qualification, grade pay, reservation of posts for scheduled castes and scheduled tribes, backward classes, economically backward classes and women and conditions of service of teachers, officers and other employees of the University including the creation of new posts after considering, as the case may be, the recommendations of the Academic Council and the Executive Council in the case of creation of other posts, and the recommendation of the Executive Council in the case of post of officers and employees of the University;

(h) The maintenance of accounts of the income and expenditure of the University and the forms and registers in which such accounts shall be kept;

(i) The maintenance of a register of teachers;

(j) The conferment of honorary degrees (undergraduate and postgraduate), diplomas, certificates and distinctions; and

(k) All other matters which are or may be prescribed by the Act or the Statutes.

(l) The first Statutes, regulation and ordinances shall be made by the University after enactment of this Act, must be placed before the State Government for approval within three months.

43. No post for appointment shall be created without the prior sanction of the State Government: Notwithstanding anything contained in this Act the University shall not, except with the prior approval of the State Government: -

(a) create any teaching or non-teaching post involving financial liability:

Provided that University can create any teaching or non-teaching post which runs on self-financing schemes and does not involve financial liability but they shall not claim for confirmation of these posts in future;

(b) sanction any special pay or allowance or other remuneration of any kind including *ex-gratia* payment, pension or any other-benefit having financial implication to any person holding a teaching or non-teaching post;

(c) incur expenditure of any kind on development scheme.

44. Statutes, how made:

(1) The Executive Council may either on its own motion or on submission by the Academic Council make statutes or amend or repeal it:

Provided that the Executive Council shall not take up any such statutes as may affect the status, powers and constitution of any authority of the University unless that authority has been allowed an opportunity to furnish written opinions upon the proposed changes and the Executive Council shall have to consider such opinion expressed in writing.

(2) If the draft of any statutes or a portion thereof after being presented by the Academic Council before the Executive Council is sent back to the Academic Council for reconsideration and the Academic Council does not agree, after reconsideration to the amendment suggested by the Executive Council then it shall be lawful for the Executive Council to pass the statutes or a portion of the Statutes in such form as it may deem appropriate and the decision of the

Executive Council shall, subject to the provisions contained in sub-section (3) and sub-section (4) be final.

(3) Where the draft of any statute has been passed by the Executive Council it shall be submitted to the State Government, who may declare that they approve to the statute, with or without amendment, or that they withhold approval therefrom.

(4) A statute passed by the Executive Council shall not have validity until it has been approved to by the State Government.

45. Ordinances:

(1) The Executive Council may subject to the provisions of this Act and Statutes, make Ordinances to provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) The admission of students to the University and their enrolment as such

(b) The fees to be charged for courses run in the University and for admission to the examinations, degrees (undergraduate and postgraduate), certificates and diplomas of the University

(c) The constitution, powers and duties of the Committee of the University

(d) All matters which according to the Statutes or the Act are to be or may be provided for by Ordinances

(2) An Ordinance made by the Executive Council under sub-section (1) shall be submitted as soon as may be to the State Government, which shall give assent to the Ordinance with or without amendment or it may withhold assent therefrom.

(3) An Ordinance shall have no validity until it has been approved by the State Government under sub-section (2).

46. Regulations, how made:

(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, Regulations may be made to provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) The courses to be laid down for all degrees (undergraduate and postgraduate), certificates and diplomas of the University;

(b) The condition under which students shall be admitted to the degree (undergraduate and postgraduate) or diploma or certificate course and to the examinations of the University and shall be eligible for such degrees and diplomas and certificates;

(c) The formation of departments in the faculties;

(d) The conditions and mode of appointment and duties of paper setters and examiners and the conduct of examinations; and

(e) All matters which according to the Ordinances, Statutes or the Act are to be or may be provided for by Regulations.

(2) (i) A Regulation made by the Academic Council under sub-section (1) shall be forwarded, as soon as may be to the Executive Council for consideration and approval. Where the Executive Council wishes to make any amendment, it shall obtain the opinion of the Academic Council and shall consider the same.

(ii) Such Regulation shall have effect from the date on which it is approved by the State Government, with or without any amendment, or from such other date as the Executive Council may appoint.

47. Rules:

(1) The authorities and the Boards of the University constituted either under this Act or under the Statutes made thereunder may make Rules consistent with the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations for the following matters, namely: -

(a) Laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(b) Laying down the procedure to be observed by committees subordinate to any such authorities and the Boards at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(c) Providing for all matters which by the Ordinances, the Statutes, the Act or the Regulations are to be prescribed by the Rules; and

(d) Providing for all other matters exclusively concerning such authorities, Committees and Boards and not provided for by this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations.

(2) Every authority of the University may make Rules providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of the meetings.

48. Approval from the Directorate of Higher Education, Government of Jharkhand shall be necessary in the matters relating to making of certain Statutes, etc: The University shall send drafts of all proposed statutes, ordinances, regulations and rules to the Directorate of Higher Education, Government of Jharkhand for consideration of the State Government and shall comply only after the approval is given by the State Government.

49. The Students' Union:

(1) There shall be a Union of Students of the University consisting of all the Students of the University.

(2) The organisation and function of the University Students' Union shall be prescribed by the Statutes.

50. Annual report:

(1) The annual report on the working of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and shall include the annual accounts of the University and the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the Executive Council on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Executive Council in its annual meeting which may pass resolutions thereon for such action, if any, as may be specified in such resolutions:

Provided that no decision shall be taken on the annual accounts nor shall there be anything in the resolution on the annual report which may have the effect of anticipating the report of the auditors on the annual accounts:

Provided further that the report of annual accounts together with resolution, if any, of the Executive Council relating thereto shall be placed before the legislature for consideration in its next session.

(2) The Executive Council shall submit the annual report, as prepared under sub-section (1), to the State Government along with its comments, if any, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before legislature if needed.

Finance, Accounts and the Audit of the University

51. Establishment of the University Funds:

(1) There shall be a Fund to be called the Pandit Raghunath Murmu Tribal University Fund and this fund shall vest in the University for the purposes of this Act, subject to the provision contained therein, and the following amounts shall be credited thereto, namely:-

(a) All sums contributed or granted to the University from the consolidated fund of the State of Jharkhand by the State Government for the purposes of the University and all sums borrowed by the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances, Regulations and Rules made thereunder;

(b) All money received by and on behalf of the Regional Centres and departments established and maintained by the University including all sums paid to the University under any provision of this Act and the Statutes, the Ordinances, Regulations and Rules made thereunder;

(c) All interests and profits arising from endowments made to the University and all contributions, donations and subsidies received from any local authority or private person;

(d) All fees payable and levied under this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder; and

(e) All other sums received by the University, not included in sub-sections (a), (b), (c) or (d).

(2) The University fund shall be kept in such scheduled bank within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934), or invested in such securities authorised by the Indian Trusts Act, 1882 (II of 1882), as may from time to time be approved by the State Government. However, any grant or contribution from the State Government shall be kept in Public Ledger Account only.

52. Contribution by Government to the University:

(1) The State Government shall contribute annually to the University Fund a recurring grant out of the Consolidated Fund of the State which shall include all expenses of recurring nature.

(2) The State Government shall calculate the amount of annual recurring grant in consultation with the Vice-Chancellor and the amount may be revised at the expiry of a period of every five years.

(3) The State Government may, from time to time, contribute such additional grants to the University Fund as it may deem fit having regard to the need of expansion and development of the University or Regional centers.

53. Annual estimates of income and expenditure of Regional Centres and University:

(1) The Director of every Regional Centre, if any, shall, if required to do so, prepare in the prescribed form an estimate of its probable income including income from endowments and bequests, if any, and expenditure for the next financial year and the same shall be considered and sanctioned by the Executive Council either without alteration or with such alterations as it thinks fit.

(2) (i) On receipt of the estimate under sub-section (1) it shall forthwith be referred by the Vice-Chancellor to the Finance Committee for scrutiny and report. Thereupon, the Finance Committee shall scrutinize every item of the estimate and in particular the portion of the estimate relating to grants in-aid to the Regional Centres and submit along with a report to the Executive Council as may be prescribed by the Statutes.

(ii) The Executive Council shall consider forthwith the estimate and the report of the Finance Committee and return the estimate to the Regional Centres for rectification of defects therein, if any.

(3) The Finance Committee shall prepare the annual estimate of income and expenditure of the University for the ensuing financial year and shall on or before such date as may be prescribed forward the same together with a memorandum containing explanatory notes thereon to the Executive Council which may approve the estimates either without alteration or with such alteration as it thinks fit.

(4) Every estimate prepared under sub-section (3) shall in accordance with the directions given by the State Government, make provisions for the due fulfilment of all the liabilities of the University including the allotment of grants to the Regional Centres and for the efficient administration of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules made thereunder.

(5) Every estimate under this section shall be prepared in such form and shall contain such details as may be prescribed by the Statutes.

54. The Budget shall be approved by the State Government:

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, the University shall send the budget for the ensuing financial year to the State Government at least two months before the end of the current financial year. The University shall show therein the estimates of receipts and disbursements for the ensuing year. The State Government shall return the budget with such modifications, if any, as it may deem fit, and the University shall act in conformity with such modified and approved budget.

(2) The University shall send a supplementary budget to the State Government at any time during the current financial year and the State Government shall return the budget to the University with such modifications and approval, as it may deem fit.

(3) No expenditure shall be incurred by the University unless such an expenditure has become a part of the budget, as finally approved under sub-sections (1) and (2).

55. Consideration of estimates by the Executive Council: The Executive Council shall consider every estimate laid before it under sub-section (3) of Section 54 and shall sanction the same, either without alteration or with such alterations as it may think fit.

56. Restriction on expenditure not included in the Budget:

(1) No sum shall be spent by or on behalf of the University unless the expenditure thereof is included in the current budget estimates or can be met, with the previous approval of the State Government by re-appropriation or by drawing upon the closing balance.

(2) The closing balance shall not be reduced below such amount as may be prescribed by the Statutes.

57. Objects to which the University Fund may be applied: The University Fund shall be applicable to the following objects:-

(a) to the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules made thereunder;

(b) to the upkeep of departments and Regional Centres established by the University;

(c) to the payment of the salaries and advances of officers, teachers and other employees of the University, and of any Provident Fund contributions or pension or gratuity to any such officers, teachers and other employees;

(d) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Executive Council, the Academic Council and any other authorities of the University or the members of any Committee or Boards appointed in pursuance of any provisions of this Act and the Statutes, the Regulations and the Rules made thereunder;

(e) to the making of grants to the Regional Centres and other institutions if any;

(f) to the payment of the cost of audit of the University Fund and of the cost of audit of the accounts of any department or Regional Centres;

(g) to the payment of expenses of any suit or proceeding to which the University is a party;

(h) to the payment of any expense incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances, the Regulations and the Rules made thereunder; and

(i) to the payment of any other expense, though not specified in any of the preceding sub-sections, but declared by the Executive Council to be the expense for the purpose of the University.

58. Accounts and audit of the University Fund:

(1) (i) Financial Adviser of the University shall prepare the Annual Budget according to the direction of the Vice-Chancellor. In the annual budget of the University, there shall be mention of income from all sources and all items of expenditure.

(ii) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, the annual accounts of the University shall be audited by auditors appointed by the Accountant General Jharkhand.

(2) A copy of the annual accounts of the University together with the auditor's report thereon shall be submitted by the Executive Council, within six months of the receipt of the report, to the State Government, who shall cause the same to be published in the official Gazette.

(3) (i) Within six months of the receipt of the auditor's report under sub-section (2) the Executive Council shall appoint an ad-hoc committee consisting of the Deputy Accountant General/Senior Deputy Accountant General in charge of Local Bodies Audit, and eight such members of the Executive Council as are not members of the Finance Committee.

(ii) The said Committee shall be known as the University Audit Committee and shall have power, for the purpose of examining the auditor's report to call for explanations from the controlling and disbursing officers and it may-

(a) suggest ways and means to avoid in future any misuse of the University Fund or irregularity in the accounts of the University.

(b) suggest the recovery of any sum on account of any payment contrary to law from a University authority, officer or other employees or from any person making or authorising such payment, or the recovery of the amount of any loss or deficiency from the person responsible therefore or any amount which ought to have been but which is not brought into account from the person failing to account for such amount.

(4) The auditor's report together with the report of the University Audit Committee thereon shall be submitted to the Executive Council and the State Government for such action as they think fit.

(5) It shall be lawful for the State Government either on the suggestions of the University Audit Committee or on its own motion to require any authority, officer or other employee of the University or any other person who is found to have spent or authorised the expenditure of any amount in excess of the amount provided in the budget or in violation of any provisions of this Act, the Statutes, Ordinances, Regulations or Rules or is found to have failed to account for any amount to reimburse the amount in the manner prescribed in the Statutes:

Provided that no order for reimbursement shall be made until the authority, officer, other employee or the person concerned has been given a reasonable opportunity of making representation and the same has been considered by the State Government.

59. Power of the State Government to have accounts of the University audited: The State Government may, if it considers necessary, cause the accounts of the University to be audited as it thinks fit and on receipt of the audit report, it may, after calling for a report from the University on the points raised therein and after considering the same, issue such directions as it thinks fit and thereupon the University shall comply with such directions within the time specified therein. However, the State Government can order any account to be audited by CAG.

60. Returns and Information: The University shall furnish to the State Government such returns or other information with respect to its property or activities as the State Government may, from time to time, require.

61. Inspection of Regional Centres:

(1) Regional Centres shall furnish such reports, returns and other information as the Executive Council, after consulting the Academic Council, may require, to enable it to evaluate the efficiency of the Centres.

(2) The Executive Council shall cause every such Centre to be inspected from time to time.

(3) The Executive Council may call upon any Centre so inspected to take necessary action for the benefit of the Centre.

(4) The inspection team will submit inspection report to the Executive Council, who thereupon submit it to the State Government for any action, if required.

62. Appointment to the posts of teachers and officers: In matters pertaining to appointment to the posts of teachers and officers (other than the Vice-Chancellor, Financial Adviser, Pro-Vice Chancellor and the Registrar), the extant UGC regulations shall be applicable ipso facto. In view of the special requirements, if any, related to particular departments of the University, statutes shall be framed for this purpose in accordance with extant UGC regulations. These appointments shall be done on the recommendations of Jharkhand Public Service Commission under the extant UGC regulations.

63. Conditions of Appointment: Subject to the approval of the Executive Council, the matter relating to appointment and disciplinary actions shall be disposed of after obtaining the advice of the University Selection Committee in the manner as may be prescribed by the Statutes framed under this Act.

64. Qualification for enrolment as students of the University:

(1) (i) No student shall be enrolled as a student of the University unless he/she has passed the Intermediate Examination or any other equivalent examination held by the University or any other University or-body incorporate by any law for the time being in force and recognised by the University:

Provided that students who have passed the Intermediate/ Equivalent Examination or Pre-University Examination shall continue to be enrolled in the manner as prescribed in the Ordinance and Regulations.

(ii) The State Government may determine the maximum number of seats for enrolment of students in the Faculties and Departments of the University and the Regional Centres under its jurisdiction and directions issued thereto shall be binding on the University.

(iii) The reservation policy of the State Government shall be binding on the University.

(iv) The fee structure for the various University courses shall be decided by the Academic Council from time to time under the Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules made under the Act.

(2) **Honorary degrees:** The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the State Government, who shall act as per sub-section (4) of Section 12 of the Act:

Provided that in case of emergency, the Executive Council may, on its own motion, make such proposals.

(3) **Withdrawal of degrees, etc.:** The Executive Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, for good and sufficient cause, withdraw any degree (undergraduate or postgraduate) or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University (in case of any honorary degree conferred by the University, prior sanction of the State Government shall be required):

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon them to show cause within such time as may be specified in the notice why such a resolution should not be passed and until their objections, if any, and any evidence they may produce in support of those objections, have been considered by the Executive Council.

65. Maintenance of discipline among students of the University:

(1) All powers relating to the maintenance of discipline and disciplinary action in relation to students of the University shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers referred to in sub-section (1), as he deems proper, to Pro-Vice Chancellor and to such other officers as he may specify in this behalf.

(3) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled, or rusticated, for a specified period or be not admitted to a course or courses of study in a Department, Regional Centres or a Faculty of the University for a stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University or Department or a Faculty for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be cancelled.

(4) The Director of Regional centres, Deans of Faculties and Heads of teaching Departments in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective Centres, Faculties and teaching Departments in the University, as may be necessary for the proper conduct of such Centres, Faculties and teaching Department.

(5) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor, the Directors and other persons specified in sub-section (4), detailed rules of discipline and proper conduct shall be made by the University.

The Director of Regional Centres, Deans of Faculties and Heads of teaching Departments in the University may also make the supplementary rules as they deem necessary to the aforesaid purpose.

(6) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

66. Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students:

(1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Executive Council and the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be.

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a Tribunal of Arbitration constituted by the State Government.

67. Students' Council:

(1) There shall be constituted in the University, a Students' Council for every academic year, consisting of:-

(a) the Dean of Students' Welfare who shall be the Chairman of the Students Council;

(b) twenty students to be nominated by the Academic Council on the basis of merit in studies, sports and extra-curricular activities; and

(c) such number of elected representatives of students as may be specified by the Academic Council:

Provided that any student of the University shall have the right to bring up any matter concerning the University before the Students' Council if so, permitted by the Chairman, and he shall have the right to participate in the discussions at any meeting when the matter is taken up for consideration.

(2) The functions of the Students' Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the University in regard to the programmes of studies, students' welfare and other matters of importance, in regard to the working of the University in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion.

(3) The Students' Council shall meet at least once in an academic year preferably in the beginning of that year.

68. Internal Quality Assessment Cell: The University shall constitute an Internal Quality Assessment Cell (IQAC) for NAAC Accreditation of University, and to achieve quality, access and equity in education of University and Regional Centres as per norms of University Grants Commission (UGC), Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) and National Assessment and Accreditation Council (NAAC) as prescribed by the Statutes framed under this Act.

69. Placement Cell: The University shall constitute a placement cell to place the students in employment as prescribed by the Statutes framed under this Act.

70. Appointment of the Commission:

(1) The State Government may at any time, by an order published in the Official Gazette, constitute a Commission.

(2) The Commission constituted under sub-section (1) shall inquire into and report on the following:-

(a) the working of the University;

(b) the financial condition of the University, its Regional Centres and other academic institutions if any;

(c) any change to be made in the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations with a view to bringing about improvements; and

(d) Such other matters as may be referred to it by the State Government.

(3) On receipt of the recommendations under sub-section (2), the State Government may send the same to the appropriate authority of the University for consideration and report thereon, and on receipt of its report, may pass such orders thereon as it may consider fit. It shall cause the said order to be published in the official Gazette. Thereupon the University shall comply with the order within such time as may be specified by the State Government.

71. Filling of vacancies: All vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University by reason of death, resignation or otherwise shall be filled, as soon as conveniently may be by the person or body who appointed, nominated, elected or co-opted the member whose place has become vacant, and the person not appointed, nominated, elected or co-opted shall be a member of such authority or body for the unexpired period of the prescribed term:

Provided that pending the filling up of such vacancies by appointment, nomination or election in the manner aforesaid, the vacancies may, if the authority or body of the University so decides, be filled by the co-option of any person qualified to fill such vacancy under the provisions of this Act and any person so co-opted shall hold office as a member of such authority or body until a person is appointed, nominated or elected thereto in accordance with the provisions of this Act.

72. Proceedings of University authorities and bodies not to be invalidated due to vacancies: No act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

73. Conditions of service of officers and teachers of the University:

(1) Every salaried officer of the University and every teacher employed in a University Department other than officers and teachers who are members of the public services in India and whose services have been lent to the University under clause (a) of sub-section (2), shall be appointed on a written contract which shall be lodged with the Registrar of the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned. Every teacher of the University shall in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the conditions and restrictions as specified in the Statutes.

(2) Any member of the public services in India whom it is proposed to appoint to a post in the University, shall subject to the approval of such appointment by the Government concerned and the terms thereto, have the option-

(a) of having his services lent to the University and remaining at any time, liable to recall to the service of the Government at the option of the Government concerned; or

(b) of resigning the service of the Government on entering the service of the University:

Provided that where the University, after consultation with the Public Service Commission, is satisfied that an officer or teacher, being a servant of the Government whose services have been lent to the University deserves the punishment of dismissal, removal or reduction in rank, the University shall forward to the Government the proceedings instituted against such officer or teacher together with all connected papers including the findings of Public Service Commission, and thereupon the Government shall forthwith cause the said officer or teacher to be reverted to the service of the Government and take such action against him as it thinks fit.

(3) The teacher or any officer of the University may take lien in accordance with the Statutes framed thereunder the Act. All their service benefit shall be secured during the period of lien.

(4) When there are no statutes/regulations/rules etc. framed on the matter of any service conditions of teachers then those service conditions shall be guided by extant UGC guidelines.

74. Seniority list:

(1) Whenever, in accordance with the Statutes, any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined

according to the length of continuous service of such person in his grade and in accordance with such other principles as the Executive Council may, from time to time, prescribe.

(2) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class of persons to whom the provisions of these Act apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of sub-section (1).

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade then their relative seniority shall be decided on the basis of date of birth and if date of birth is also the same then seniority shall be decided on the basis of their academic and research qualification. In case of any confusion or doubt, the Registrar may, on his own motion and shall, at the request of any such person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

75. Norms / regulations for promotion through Career Advancement of Assistant Professors, Associate Professors and Professors: The promotion through career advancement of Assistant Professors / Associate Professors /Professors in the University shall be governed by the Norms / Regulations prescribed by the University Grants Commission as amended from time to time.

76. Retirement from Service:

(1) Save as otherwise expressly provided in this Act–

(a) the date of retirement of teaching employees shall be the date on which they attain the age of 65 years;

(b) the date of all other employees not included in (a) above, shall be the date on which they attain the age of 60 years;

(c) if an employee of another University of this State, who under the Act of that University, is to retire on attaining the age of 62 years, joins the service of this University, such an employee shall retire on the date on which he attains the age of 62 years:

Provided that a teaching or non-teaching employees whose date of retirement falls on the first day of a month will retire from service from the afternoon of the last date of the preceding month and if the date of retirement falls on any other date of the months, he will retire in the afternoon of the last date of that month:

Provided further that the University shall not extend the period of service or re-appoint any teaching or non-teaching employee after his completing the age of 65 and 60 years, as the case may be.

(2) The University may require any teaching or non-teaching employee, who reckoned from the date of his first appointment has completed the qualifying service of 23 years or a total service of 27 years, to retire from the University service, if it considers that his conduct or efficiency is such as does not justify his continuance in the service.

(3) (i) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, any teaching or non-teaching employee may, after giving at least three months prior notice in writing, to the concerned appointing authority, retire from such date on which such a teaching or non-teaching employee has completed 32 years of qualifying service or has attained 52 years of age, or from such date thereafter as may be specified in the notice:

Provided that no employee of the University under order of suspension shall retire except without specific approval of the Executive Council.

(ii) The University may, in the public interest, require any teaching or non-teaching employee, after giving at least three months prior notice in writing or after paying an amount equivalent to pay and allowances of three months in lieu of such notice to retire from such date on which he completes 32 years of qualifying service or attains 52 years of age, or from such date thereafter as may be specified in the notice.

77. Code of Conduct:

(1) The Code of conduct of the employees of the University shall be prescribed by Statutes.

(2) If an employee of the University joins a post or membership by election or otherwise of another institution on account of which work of the University suffers, such an employee shall be required to obtain prior permission and extraordinary leave for a definite period from the University.

(3) No employee of the University shall engage himself in any trade, business, occupation or in any other work than that of his office without the previous permission of the Vice-Chancellor and in the event of his proceeding on leave without pay he shall not be entitled to receive any salary or allowances from the University Fund but in view of the nature of his duty in another institution he may or may not be allowed to earn any increment during the period. Such extraordinary leave shall be prescribed by Statute:

Provided that if an employee of the University is elected as a member of Central or State Legislature, he shall be deemed to be on special leave without pay for the entire period of his membership. The service condition of such an employee shall be duly safeguarded so that he may continue to earn increment in pay, promotion, seniority and on completion of the term of membership resume his duties in the University:

Provided further that the membership of such an employee of the University body shall be deemed to have expired with effect from the date on which he has become a member of the Central or State Legislature.

78. New Pension Scheme, Gratuity and Insurance: The University shall, subject to such manners and conditions as may be prescribed by the Statutes, constitute New Pension Scheme, gratuity and insurance for its officers, teachers and other employees (excluding those who are members of Public Service of India and whose services are lent to the University)

79. Transitory Provisions: Notwithstanding anything contained in this Act the Vice-Chancellor may, for a period not exceeding one year from the commencement of this Act and with the previous approval of the State Government and subject to the provision of funds by the State Government or otherwise, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provision of or perform any duties which by this Act are to be exercised or performed by any officer or authority of the University, not being an officer or authority of the University in existence at the time when such powers are exercised or such duties are performed.

80. Election for the purpose of constituting the Executive Council, the Academic Council and Finance Committee: The State Government shall make such arrangements for the constitution of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee as to assume charge of their respective offices from the date following the expiry of the period and term of office of the members of the said authorities shall be deemed to have commenced from the said date.

81. Disputes as to constitution of authorities and bodies: If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

82. Proceedings of authorities or bodies not invalidated by vacancies: No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

83. Mode of proof of University record: Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or other body of the University, or any other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

84. Power to make rules:

(1) The State Government shall have power to make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Act, the State Government shall have power to make rules in relation to:-

(a) The terms and conditions of service of all employees of the University;

(b) Code of conduct and discipline for all the employees of the University;

(c) Manner and procedure for holding disciplinary proceedings against employees of the University;

(d) Manner and procedure for maintaining funds and accounts of the University including the procedure for maintaining Provident Fund of the employees of the University; and

(e) Such other subject as the State Government considers necessary for the purposes of this Act.

(3) Every rule made under this Act shall, as soon as they are made, be laid in the Legislative Assembly while it is in session

85. Power to give directions: The State Government shall have the power to give directions to the University in any matter not inconsistent with the provisions of this Act and the University shall be duty bound to comply.

86. Power to remove difficulties:

(1) The State Government shall have the power to remove any difficulty as may arise in applying the provisions of this Act to the University covered under this Act.

(2) The decision of the State Government shall, in every case, be final in regard to any dispute in between the State Government and the University in effecting the provisions of this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 475 - 50